# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

## सत्र-9 दिल्ली विधान सभा के नौवें सत्र का पहला दिन

अंक-67

## दिल्ली विधान सभा

# सदन मध्यान्ह 12.00 बजे समवेत हुआ।

## अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

## निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

- 1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- 9. चौ. भरत सिंह
- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव

- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी
- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह
- 21. श्री करण सिंह तंवर
- 22. श्री कुलवंत राणा

- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत कुमार
- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. श्री नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी

41. श्री रमेश बिधूड़ी

2

- 42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्णा
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री वीर सिंह धिंगान

# दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-10 सोमवार, 28 मई, 2012/जयेष्ठ 07, 1934 ( शक )

अंक-73

# सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए। (राष्ट्रगीत वंदे मातरम्)

श्री सुभाष सचदेवा: अध्यक्ष महोदय, कीर्तिनगर का यूजीआर पिछले तीन साल से बन कर तैयार है लेकिन बार-बार आश्वासन के बाद भी उसके लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। मैंने मुख्य मंत्री जी के चरणों में अपने बाल समर्पित किए हैं जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके। जैसे भगवान बाला जी

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। माननीय सदस्यगण, दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र में आप सब का हार्दिक स्वागत है। आप सब को मालूम ही है कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों के कारण 21 मार्च, 2012 को सदन द्वारा 'वोट ऑन अकाउंट' पेश किया गया था और अब पूरे वर्ष के लिए बजट पेश किया जायेगा। माननीय सदस्यों के बजट पर चर्चा का पूरा मौका मिलेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य चर्चा में बढ़-चढकर भाग लेंगे।

श्री सुभाष सचदेवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको

....व्यवधान....

### निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी, एक शोक संवेदना का प्रस्ताव है, आपने जो बात कहनी है उसके बाद किहए।

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर अत्यंत दुख होगा कि महानगर परिषद दिल्ली (1983-90) एवं दूसरी विधान सभा के सदस्य डॉ. पी.सी. कौशिक जी का निधन हो गया है। डॉ. कौशिक महानगर परिषद एवं विधान सभा में कई समितियों के सदस्य थे और सदन की कार्यवाही में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते थे। डॉ. पी.सी. कौशिक बड़े हंसमुख और मुखर नेता थे और सादगी से अपना जीवन जीते थे।

में अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से डॉ. पी.सी. कौशिक के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे व उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित): सर, डॉ. पी.सी. कौशिक दूसरी लेजिस्लेटिव असैम्बली के नांगलोई कंस्टीट्यूंसी से सदस्य थे वे बहुत ही नेक इंसान थे, एक बहुत ही सोशल एक्टिव वर्कर थे और अपने इलाक में और आस पास के इलाक में ऐसी सिख्शयत थे जिनको भूला नहीं जा सकता। क्योंकि वे सभी के लिए कुछ करते रहते थे। वे बहुत ही नेक इंसान थे और जब भी कभी कोई आम आदमी की समस्या होती थी उसको बढ़ चढ़कर सुलझाने की कोशिश करते थे। मैं इस सदन के साथ और आपके साथ अपने आप को भी जोड़ती हूँ कि उनकी आत्मा को सदा के लिए शांति मिले और उनके परिवार को भगवान इस दुख को सहने के लिए शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा साहब, नेता प्रतिपक्ष।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, डॉ. पी.सी. कौशिक के निधन पर जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है और मुख्य मंत्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपने शब्द उसमें मिलाना चाहता हूँ। विधान सभा का सदस्य बनना अपने आप में बड़े गौरव की बात है और इसके साथ ही महानगर परिषद में भी वे सदस्य रहे थे। अनेक सिमितियों में उन्होंने काम किया और राजनीति में रहते हुए भी पारदर्शी और शुद्ध जीवन व्यतीत किया था। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को भगवान इतनी शिक्त दे कि वो इस वजाघात को सहन कर सकें और इस शोक में हम सब लोग सिम्मिलत हैं, इतना मैं कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मुखी साहब।

**डॉ.** जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, सदन में जो डॉ. पी.सी. कौशिक के निधन पर प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके साथ अपने को जोड़ना चाहता हूँ। दोनों ही बार सदन में महानगर पार्षद के नाते से और विधायक के नाते से हमने साथ मिलकर यहाँ कार्य किया है। उनके अंदर कार्य करते हुए जो मैंने विशेषता नोट की है, पब्लिक के किसी भी समस्या को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से न केवल सदन के अंदर रखते थे, सदन के बाहर भी उसी अग्रसिवनेस से रखते थे जब तक समाधान नहीं मिलता था तब तक उस इश्यू को छोड़ते नहीं थे। चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा उनके अंदर गुण था जो हम सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना रखता हूँ कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और इस असामायिक निधन पर उनके परिवार के सभी सदस्यों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओउम् शांति।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर खुशी होगी कि एलजी गैजरी में पूर्व सदस्य श्री विजय जौली जी उपस्थित हैं।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, शोक संवेदना के बाद मौन धारण किया जाता है। आप पहले मौन धारण करवायें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती। वर्तमान में सदस्य जाये तभी मौन धारण करते हैं। ऐसे हरेक के लिए नहीं करते।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, शोक संवेदना यहाँ रखी जाती है, उसके बाद में श्रद्धाजलि दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : तीनों की तरफ से शोक संवेदना हो गई है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, शोक संवेदना के बाद मौन धारण होता आया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण एक मिनट के लिए मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर खुशी हागी कि एलजी गैलरी में दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य माननीय श्री विजय जौली उपस्थित हैं। मैं उनका आपकी ओर से और सदन की, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान अपना प्रश्न रखें - व्यवधान

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था, दिल्ली में पानी का इतना हाहाकार मचा हुआ है। सारी दिल्ली पानी के कारण त्रस्त है दिल्ली में पानी और बिजली दोनों ही इस समय उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली के अन्दर एक तो आसमान आग उगल रहा है, पेटोल में आग लगी हुई है, किन्तु यहां पानी में भी आग लगा रखी है, दिल्ली झुलस रही है और सारे लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं।

....व्यवधान....

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब यदि आप इसे प्रश्नकाल के बाद ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, यह तो इतना जरूरी मामला है कि तुरन्त सभी काम छोड़ करके सबसे पहले पानी पर बहस होनी चाहिए। आज सारी दिल्ली में प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों में लोगों ने मटके फोड़े हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि इस बार पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पानी कहीं 10 मिनट आता है कहीं 5 मिनट आता है, सारी दिल्ली में पानी आ ही नहीं रहा है। अगर कहीं पानी आता भी है तो जहरीला पानी है।

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय: देखिए, प्रो. साहब आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है, मैं पहले उस पर व्यवस्था दे दूं, उसके बाद आप बोलिए। मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने राजधानी में पानी की अत्यंत कमी होने का उल्लेख किया है। कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा केवल अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के विषय ही उठाए जा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल एवं शकधर द्वारा लिखित प्रसिद्ध संसदीय पुस्तक 'संसदीय पद्धित एवं प्रक्रिया' की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई विषय तभी अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का होता है जबिक वह हाल ही में हुई किसी घटना से संबंधित हो और उसे प्रथम उपलब्ध अवसर पर उठाया जाए। जो विषय कुछ समय से जारी हो उसे कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त जो विषय दिन प्रतिदिन प्रश्नों, आधे घंटे की चर्चाओं आदि के माध्यम से सभा के समक्ष उठाये जाते हैं उन्हें कार्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस सत्र में बजट पर चार दिन चर्चा होगी और बजट पर चर्च करते हुए सभी माननीय सदस्यों को इस विषय पर खुलकर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्यों को प्रश्नों के जिरए भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। क्योंकि आज बजट पेश होना है, इसिलए आज सभा का कार्य स्थिगत नहीं किया जा सकता। अत: मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमित नहीं दे रहा हूँ।

## ....अन्तर्बाधाएं....

(सभी विपक्षी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गये) (श्री सुभाष सचदेवा कपड़े पर बने बैनर को पहन कर सदन में आए)

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा साहब, आप यह पहन करके नहीं आ सकते। आप इसे उतार दीजिए। आप सदन में इस तरह पहन करके नहीं आ सकते हैं। आप कृपया इसे उतार दीजिए। उतार दीजिए। कभी अनुशासन भी मानना चाहिए। आप इसे उतार दीजिए।

श्री सुभाष सचदेवा : ....व्यवधान

....अन्तर्बाधाएं....

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी, आप इसे उतार दीजिए।

श्री सुभाष सचदेवा : ...व्यवधान

(विपक्षी सदस्यों द्वारा हाउस में नारे लगाये गये) (श्री सुभाष सचदेवा वैल में आ गए)

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी, आप इसे उतार दीजिए, नहीं तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जो आप यह पहने हुए हैं इसको उतार दीजिए।

....अन्तर्बाधाएं....

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी को बाहर ले जाकर यह उतार दीजिए। फिर ये अन्दर आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो पहना है बाहर ले जाकर उसे उतार दीजिए।

....अन्तर्बाधाएं....

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी, आप बाहर जाइए, इसको उतार कर फिर आइए। जाइए आप बाहर जाइए।

> ....अन्तर्बाधाएं.... (विपक्षी सदस्य सदन में नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान पहला प्रश्न रखिए।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1 प्रस्तुत है-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिलशाद गार्डन टर्मिनल से लक्ष्मी नगर होकर केन्द्रीय सचिवालय तक डी.टी.सी. की कुछ बसें चलाई जा रही हैं,
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त टर्मिनल से केन्द्रीय सचिवालय के लिए कुल कितनी बसें, किस-किस रूट व नम्बर की, किस-किस समय चलाई जाती हैं,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका में कार्यरत स्टाफ जिनको प्रात: 6 से 7 बजे तक अपने कार्यालय पहुँचाना होता है, उनके लिए उक्त टर्मिनल से प्रात: कोई बस नहीं है,
- (घ) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त स्टाफ व अन्य दैनिक यात्रियों के लिए प्रात: 6 बजे से कोई बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, और
- (ङ) यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : शिक्षा मंत्री जी धिंगान साहब के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

शिक्षा मंत्री (श्री अरिवन्दर सिंह): अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-1 का उत्तर इस प्रकार है-

- (क) जी हाँ, रूट सं. 284 दिलशाद गार्डन टर्मिनल से केन्द्रीय टर्मिनल के मध्य वाया लक्ष्मी नगर होगर परिचालन में है।
- (ख) इस टर्मिनल से रूट संख्या 281 पर दो बसें चल रही हैं जिसकी समय सारणी निम्न प्रकार है—

रूट सं.	दिलशाद गार्डन टर्मिनल	केन्द्रीय टर्मिनल
281	08.05 बजे	09.25 बजे
	08.25 बजे	09.45 बजे
	10.45 बजे	12.05 बजे
	16.35 बजे	17.55 बजे
	19.35 बजे	20.55 बजे

- (ग) जी नहीं। एक बदलाव के साथ बस द्वारा यात्री सुबह 06.00 बजे चलकर गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा मैट्रो रेल का माध्यम भी इन गंतव्यों के लिए उपलब्ध है।
- (घ) जी नहीं।
- (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विपक्षी सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के पास आ गए)

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय: सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

# तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

2. श्री सतप्रकाश राणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिजवासन विधान सभा क्षेत्र के गाँव बामनौली व भरथल की फिरनी रोड़ व नाले के निर्माण की कोई योजना बनाई गई है;

12

- (ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है, और
- (ग) उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा?

### शहरी विकास मंत्री :

- (क) बामनौली गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई भी विकास कार्य इसलिए नहीं कर सका क्योंिक डेवलपमेंट प्लान अभी तक स्वीकृत नहीं है। भरथल गांव में फिरनी रोड़ बनी हुई है एवं उसको दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष अपग्रेड कर दिया गया है।
  - द्वारका सैक्टर 26 के बाहर एक ड्रेन बनाने की योजना है, जो कि भरथल गांव के साथ-साथ चलेगा।
- (ख) द्वारका सैक्टर 26 और भरथल गांव के साथ-साथ नये ड्रेन के निर्माण की अनुमानित लागत 11 करोड़ रुपये है।
- (ग) उपरोक्त कार्य जून 2012 से शुरु होने जा रहे हैं।
- 3. श्री विपिन शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सत्य है कि शाहदरा स्थित डी.टी.सी. बस टर्मिनल की हालत बहुत दयनीय है;

- (ख) क्या यहाँ बस शैल्टर, शौचालय, पीने के पानी इत्यादि की कोई समुचित व्यवस्था है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या विभाग को यह जानकारी है कि उक्त बस टर्मिनल पर यात्रियों के लिए पास बनाने वाले कार्यालय की हालत बहुत जर्जर है;
- (घ) क्या इस बस टर्मिनल की चारदीवारी, अन्दर की सड़के, प्लेटफार्म ठीक हालत में है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) उपरोक्त बस टर्मिनल का कब तक जीर्णोद्धार कर दिया जाएगा?

### परिवहन मंत्री

- (क) जी नहीं!
- (ख) जी हाँ!
- (ग) उक्त बस टर्मिनल पर पास बनाने वाले कार्यालय की हालत संतोषजनक है।
- (घ) प्रत्येक का विवरण निम्न प्रकार है:

चार दीवारी: पुराने मानदण्डों के आधार पन सन् 1982 में बनायी गयी थी। वर्तमान में बाहरी सड़क की ऊँचाई बढ़ने के कारण तथा मैट्रो रेल की वजह से बाहर का लेवल ऊंचा हो गया जिससे दीवार नीची हो गयी। फिर भी वर्तमान में चार दीवारी का रखरखाव संतोषजनक है।

अन्दर की सड़क: उपरोक्तानुसार बाहर की सड़क ऊंची होने के कारण यार्ड नीचा हो गया जिससे पानी की निकासी सुचारू रूप वे नहीं हो पा रही है। 14

समुचित जीर्णोद्धार की योजना बनायी जा रही है जिसमें अन्दर की सड़क का ऊंचा करना, चार दीवारी का ऊंचा करना, जल निकासी की व्यवस्था करना तथा जन सुविधाओं का पुर्निनर्माण करना शामिल है।

यद्यपि तात्कालिक उपाय के तौर पर गढ्ढों को भरने का काम आरंभ हो गया है। प्लेटफार्म : ठीक हालत में हैं।

- (ङ) लगभग 6/8 महीनों में आवश्यक सुधारात्मक कार्य कर दिया जायेगा।
- 4. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि यमुना विहार में सी-10 ब्लॉक स्थित सामुदायिक केन्द्र (एम.टी.एन.एल कार्यालय के पास) में डी.डी.ए. द्वारा भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कराने के लिए कई बार निविदायें आमंत्रित की गई;
- (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त पार्किंग के निर्माण संबंधी प्रगति का विवरण क्या है:
- (ग) यदि कोई प्राइवेट एजेंसी/ठेकेदार उक्त योजना पर कार्य करने को तैयार नहीं हैं, तो क्या स्वयं डी.डी.ए. इस पार्किंग का निर्माण व रख-रखाव नहीं कर सकती; और
- (घ) डी.डी.ए. कब तक इस पार्किंग को बनाने का निर्णय लेगी?

### शहरी विकास मंत्री :

(क) से (घ) सामुदायिक केन्द्र यमुना विहार के अन्दर भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग निर्माण हेतु नीलामी की गई थी परन्तु नीलामी में कोई भी प्रतिभागी नहीं आया। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं इस भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग की योजना विचाराधीन है। वास्तुकारों द्वारा नक्शा बनाया जा रहा है।

- 5. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सत्य है कि लोगों की मांग एवं सुविधा के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा डी ब्लॉक, जनकपुरी से बड़ौत/बागपत तक चलती थी;
- (ख) यदि हाँ, तो यह बस किन कारणों से बन्द कर दी गई; और
- (ग) उक्त बस सेवा कब तक पुन: प्रारम्भ कर दी जाएगी?

### पनिवहन मंत्री

- (क) जी हां। दिल्ली परिवहन निगन द्वारा जनता की मांग के अनुसार डी-ब्लॉक जनकपुरी से बड़ौत रूप पर बसों का संचालन किया जा रहा था।
- (ख) पर्याप्त यात्री भार न होने के कारण इस रूट को बन्द किया गया था।
- (ग) वर्तमान में उक्त रूट पर बसें संचालन करने की कोई योजना नहीं है।
- 6. श्री सुभाष सचदेवा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) दिल्ली सरकार की गरीब अथवा कम आय वाले लोगों को फ्लैट देने की क्या नीति है:
- (ख) अब तक कितने फ्लैट बनकर तैयार है एवं प्रतिवर्ष कितने फ्लैट आबंटित किये जायेंगे;

- (ग) दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम एवं डी.डी.ए. बार-बार झुग्गियों का सर्वे क्यों करा रही है:
- (घ) क्या इसके पुर्नवास की कोई योजना है;
- (ङ) यदि हाँ, तो क्षेत्रानुसार इसकी क्या योजना है एवं इसकी क्या शर्ते हैं?

#### स्वास्थ्य मंत्री :

(क) भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुर्निनर्माण मिशन योजना के अर्न्तगत गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए कम लागत में फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार फ्लैट आबंटन के लिए प्रथम चरण में झुग्गी निवासियों को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 75 जे.जे. कलस्टरों के योग्य निवासियों को फ्लैट देने के लिए चुना जा रहा है।

इसके अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए योग्यता की निम्न मुख्य शर्ते निर्धारित की गयी हैं:

- 1. पारिवारिक आय रुपये 1,00,000/- वार्षिक हो।
- 2. दिल्ली में 31.3.2007 के पहले से रहता हो।
- 3. परिवार के पास कोई निजी प्लाट या पक्का मकान नहीं है।
- (ख) अब तक 14844 फ्लैट् बनकर तैयार हैं। योग्य लाभार्थियों की उपलब्धता एवं तैयार फ्लैट्स की उपलब्धता के अनुसार फ्लैट्स का आबंटन किया जाएगा।

(ग) किसी भी योजना को लागू करने से पहले उनकी ताजा स्थिति की जानकारी हेतु सर्वे कराया जाता है जोिक नीित अनुसार अनिवार्य है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा चुने हुए 33 झुग्गी बस्तियों का सर्वे विभिन्न तिथियों में किया गया, जिसका विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

## (घ) जी हाँ।

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा 75 जे.जे. कलस्टरों के योग्य निवासियों को प्रथम चराण में पुर्नवास पॉलिसी के अन्तर्गत फ्लैट देने के लिए चुना है। चुने गए जे.जे. कलस्टर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है एवं इनके योग्य निवासियों को फ्लैट् का आबंटन ऊपर दी गई योग्यता की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। डी.डी.ए. भूमि पर स्थित झुग्गी बस्तियों की संख्या 291 है जिसका क्षेत्रानुसार ब्यौरा इस प्रकार है:

		291
6.	उत्तरी जोन	80
5.	रोहिणी जोन	06
4.	दक्षिण-पूर्वी जोन	70
3.	दक्षिण-पश्चिम जोन	25
2.	पश्चिमी जोन	64
1.	पूर्वी जोन	46

जे.जे. कलस्टर के निवासियों को पुन: स्थापित करने/पुर्नवास दिल्ली सरकार द्वारा एवंम् DUSIB द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों अनुसार कार्य किया जायेगा।

# अनुलग्नक-क

List of 33 JJ Cluster Prioritized for Relocation by UD Department, GNCTD

S.No.	Name of the JJ Cluster	LOA/PIA	Total No. of Surveyed Jhuggies	Date of Survey
1.	JJ Cluster Bengali Camp at Kidwai Nagar	NDMC	56	Feb. 2009
2.	JJ Cluster Arjun Dass Camp East Kidwai Nagar	NDMC	134	Feb. 2009
3.	JJ Cluster near Bharti Nagar (Khan Market)	NDMC	31	Feb. 2010
4.	JJ Cluster Noor Nagar Jamia Milia	Jamia Millia	75	July 2009
5.	JJ Clusterk K.L. Block Wazirpur on left Bank of NG Drain	I&F C	400	Sep. 2008
6.	JJ Camp Mandir Gali G-F Block Karampura	I&F C	66	Aug. 2010
7.	JJ Cluster Park Side Badli Indl. Area	Industries Deptt	. 523	Year 2009
8.	JJ Cluster near N.C. Joshi Memorial	Joshi Hospital	676	Feb. 2010
9.	JJ Cluster Sh. Camp near Safdarjung Airport	AAI	73	Jan. 2010
10.	JJ Cluster Indira Camp New Friends Colony Part - I	DP	952	June 2009
11.	JJ Cluster Indira Camp New Friends Colony Part - II			June 2009
12.	JJ Cluster Bandhu Camp Vasant Kunj	Social Welfare Board	556	June 2008

Contd...

Conducted

Contd...

Crossing Wazirabad Village, Delhi

S.No.	Name of the JJ Cluster	LOA/PIA	Total No. of Surveyed Jhuggies	Date of Survey
27.	JJ Camp Block Chakki Wala Gate in front of Wwantanter Bharat Mill.	I&FC	_	Survey Not Conducted
28.	JJ Cluster near Haryana Dharamshala on Najafgarh Drain, C-Block, Karampura	aI&FC	_	Survey Not Conducted
29.	JJ Cluster Sanjay Camp, Chanakya Puri.	Railway	1184	May 2009
30.	JJ Cluster Shaheed Sukh Dev Nagar	Do	2145	May 2009
31.	JJ Cluster Railway Station Daya Basti	Do		May 2009
32.	JJ Cluster Railway Station, Daya Basti	Do	4610	Oct. 2010
33.	Jhuggies near Barapoulla Nalla Bridge	Do	425	Year 2010

- 7. श्री एस.पी. रातावाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) रानी झांसी रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर कितना प्रतिशत बनकर तैयार हो चुका है;
- (ख) क्या इस परियोजना के लिए एल.ए.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है;
- (ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी; और
- (घ) इस परियोजना में राजस्व एवं अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

### शहरी विकास मंत्री :

- (क) रानी झांसी रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर 30 प्रतिशत बनकर तैयार हो चुका है।
- (ख) जिला मध्य में ग्राम शीदीपुरा, मॉडल बस्ती की कुछ बस्ती आती है। इन प्रापर्टियों का नोटिफिकेशन धारा 4, 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार हो चुका है और अवार्ड किया जाना बाकी है तथा कब्जा कार्यवाही होनी भी बाकी है।
- (ग) उक्त प्रक्रिया 2-3 माह में किये जाने की सम्भावना है।
- (घ) भूमि अधिग्रहण के अलावा अन्य कठिनाईयों जैसे के जल बोर्ड की लाईन का संबंधित विभाग से स्थानान्तरण एवं डी.यू.एस.आई.बी. की जमीन का कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही हैं।

- 8. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी गाँव में जोगी चौपाल की बिल्डिंग बनकर तैयार होने के बावजूद अभी तक उस चौपाल की चारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई चौपालों की हालत जर्जर है, जैसे मुखमेलपुर में बाल्मिकी चौपाल व जुलाहा चौपाल, झड़ोदा में सिसौदिया चौपाल; और
- (ग) यदि हाँ, तो इनका पुन: निर्माण कब तक कराया जाएगा?

## शहरी विकास मंत्री :

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) औपचारिकताएं पूरी होने के उपरान्त ही भाग 'ख' में दर्शायी गई चौपालों के पुर्निनर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
- 9. डॉ. जगदीश मुखी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) अम्बेडकर नगर से मूलचन्द अस्पताल तक बनाये गये बस कोरिडोर पर अब तक कितने एक्सीडेंट हुए हैं और उन एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत हुई है तथा कितने जख्मी हुए हैं;
- (ख) बस कोरिडोर के गलत डिजाइन के कारण हो रहे एक्सीडेंट के मद्देनजर क्या सरकार उक्त बस कोरिडोर को बन्द करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि ऐसी घटनाओं के बाद सरकार ने दिल्ली में अन्य स्थानों पर बस कोरिडोर बनाने की योजना समाप्त कर दी है?

### परिवहन मंत्री

(क) उपायुक्त पुलिस यातायात (द. पिर.) नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार अम्बेडकर नगर से मूलचंद अस्पताल तक बी.आर.टी. कोरीडोर पर एक्सीडेंट, मौतें तथा जख्मी हुए लोगों का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	घातक दुर्घटना	साधारण दुर्घटना	मौंते	घायल
2008				
01.5.8 से 31.12.08	6	24	7	24
2009	6	17	6	20
2010	16	31	19	33
2011	6	41	6	42
15.5.12	3	15	3	31
 कुल	37	128	41	150

- (ख) जी नहीं। बस कोरिडोर का डिजाइन राइट्स एवं आई.आई.टी. के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। एक्सीडेंट का कारण कोरीडोर के डिजाइन को मानना उचित नहीं है।
- (ग) जी नहीं।

- 10. श्री जयकिशन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुरी से आनन्द विहार तक रूट संख्या 943 पर बसों की संख्या बहुत कम है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) इस रूप पर कितनी ए.सी. और नॉन ए.सी. बसें परिचालित है?

## परिवहन मंत्री

- (क) व (ख) जी नहीं। सुल्तानपुरी से आनन्द विहार तक रूट संख्या 943 पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 4 बसें चलायी जा रही हैं।
  - (ग) रूट संख्या 943 पर सभी नॉन ए.सी. लो-फ्लोर बसें चल रही हैं।
  - 11. श्री अनिल झा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी कालोनियों में डी.डी.ए. के हिन्ड्रेन्स हैं, उन कॉलोनियों के नाम, रिजस्ट्रेशन नं. क्या हैं, नक्शों सहित उपलब्ध करवाए जाए;
  - (ख) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में डी.डी.ए. द्वारा बनाए जाने वाले मार्गों के नक्शों का विवरण तथा उन कॉलोनियों के नाम क्या हैं, जहाँ से होकर ये मार्ग गुजरेंगे;
  - (ग) जिन-जिन कॉलोनियों में डी.डी.ए., वन विभाग तथा आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आपत्ति है, उन कॉलोनियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नं. तथा प्रधानों के नाम सहित आर.डब्ल्यू.ए. का पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र की सभी अनिधकृत कॉलोनियों के विस्तृत नक्शे उपलब्ध करवाए?

### शहरी विकास मंत्री

- (क) एवं (ख) शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार में 2007-08 में 106 अनिधकृत कालोनियों के जो नक्शे आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा किराड़ी विधानसभा के लिए जमा करवाये गये थे उनमें से 36 अनिधकृत कालोनियों पर डीडीए के हिन्ड्रैन्स हैं, जिनका विवरण नक्शों सहित संलग्न है (संलग्नक-1)।
  - (ग) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 106 उपलब्ध कालोनियों के नक्शों पर उक्त के अतिरिक्त वन विभाग या आर्किलॉजिकल सर्वे आफ इन्डिया की रिपोर्ट के अनुसार कोई आपित्त नहीं है परन्तु डी.डी.ए. द्वारा 08 कॉलोनियों पर आपित्त जताई गई है, जिनका विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)। पुस्तकालय में उपलब्ध है।
  - (घ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 106 अनिधकृत कॉलोनियों के लिए आर.डब्ल्यू.
    ए. द्वारा 2007-08 में जमा कराये गये सम्पूर्ण दस्तावेज नक्शों सिंहत विभाग की वैब साइट http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit\_udd/
    Urban+Development/Home पर उपलब्ध है।
  - 12. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में स्थित पुर्नवास कॉलोनियों मैट्रो विहार, होलम्बी कलां, स्वर्ण जयन्ती विहार-टीकरी खुर्द तथा सेक्टर-27 रोहिणी आदि में व्यावसायिक भूमि खाली पड़ी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यवसायिक भूमि में मार्केट कब तक बना दी जाएगी?

#### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ, नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्थित पुर्नवास कालोनियों मैट्रो विहार, होलम्बी कलां, स्वर्ण जयन्ती विहार-टीकरी खुर्द तथा सेक्टर-27 रोहिणी आदि में व्यवसायिक भूमि खाली पड़ी है। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।
- (ख) व्यवसायिक भूमि कें निपटारा हेतु एक कमेटी बना दी गयी है एवं कमेटी इन खाली व्यवसायिक भूमि की नीलामी के लिए कार्य कर रही है।

## **List of Commercial Plots**

S.No.	Name of Site/Location	Approx. Area	Remarks
1.	Holambi Kalan, Block-B (LSC)	999.00	Two Shops size 3.00 MX 4.50 M for Kerosene Depot & Ration Shops have been constructed by DMRC
2.	Holambi Kalan Ph-1 C.S.C. Block-C	714.00	Encroached by two Jhuggies and waste Material, Water Hydrant, H.T. Line Pole and shop Plot
3.	Holambi Kalan Ph-1 C.S.C. Block-A	394.00	Encroached by building material and waste also.  There is an Mill Death in
			2. There is one Milk Booth in one corner in the plot.
4.	Holambi Kalan Ph-1 Hawkers Mkt. Block-C	750.00	One Pump House Exists in this plot.

तारांकित	। प्रश्नों के लिखित उत्तर	27	ज्येष्ठ 07, 1934 (शक)
5.	Holambi Khurd, Hawkers Mkt. Ph-1 C.S.C. Block-C	502.00	Encroached by construction
6.	Holambi Khurd Shop Plot	60.00	Encroached by Khokas
7.	Pkt-7 Sec. A-10 Narela	1086.00	Hawaker Market-609.00 C.S. (Detail in heading 9) 476.00
8.	Pkt-5 Sec. A-6 Narela	320.00	C.S. (Detail in heading 9) 320.00
9.	Pkt-11, Sec. A-6, Narela	552.00	C.S. (Detail in heading 9)552.00
10.	Pkt-13, Sec. A-6, Narela	190.00	19 Nos. Shop plots 2.50×4.00M
			1 No Milk Booth 5.00 × 5.00 M. (Site Partly Encroached)
11.	Pkt-14, Sec. A-5, Narela	44.00	4 Nos. Shop Plots 2.75 × 4.00M
12.	Pkt-8, Sec. A-5, Narela	502.00	Hawaker Market, (Encroached by Moquted)

# 13. श्री रमेश विधूड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी वातानुकूलित बसें उपलब्ध हैं, उनका डी.टी.सी. डिपो-अनुसार विवरण क्या है;
- (ख) क्या गर्मी के मौसम के दृष्टिगत और अधिक वातानुकूलित बसों के परिचालन बढ़ाने की योजना है; और
- (ग) तेखण्ड बस डिपो और कालकाजी बस डिपो से कुल कितनी वातानुकूलित बसों का परिचालन किन-किन रूटों पर किया जा रहा है?

# शिक्षा मंत्री

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास 1275 वातानुकूलित बसें उपलब्ध हैं। विवरण निम्नप्रकार है:-

क्रम सं.	डिपो	बस सं.
1.	द्वारका-2	57
2.	द्वारका-8	32
3.	पूर्वी विनोद नगर	46
4.	जी.टी.के.	15
5.	हरिनगर-2	30
6.	केशोपुर	40
7.	मिलेनियम-2	200
8.	मिलेनियम-4	200
9.	नांगलोई	48
10.	नन्दनगरी	20
11.	नोएडा	39
12.	पीरागढ़ी	45
13.	राजघाट	56
14.	राहिणी−3	48
15.	रोहिणी-4	50
16.	सरोजिनीनगर	65
17.	शादीपुर	48

तारांकित प्रश्नों के ि	लेखित उत्तर	29	ज्येष्ठ 07, 1934 (शक)
18.	सुखदेव विहार		52
19.	तेखण्ड		40
20.	वसंत विहार		70
21.	वजीरपुर		24
22.	अम्बेडकर नगर		50
	कुल योग		1275

## (ख) जी नहीं!

(ग) कालका जी डिपो से कोई भी वातानलुकूलित बस परिचालन में नहीं है। तेखण्ड डिपो से परिचालित वातानुकूलित बसों का प्रति रूट परिचालन विवरण निम्नप्रकार है:—

रूट	कहाँ से	कहाँ तक	बसों की सं.
433	बदरपुर बार्डर	न.दि.रे. स्टेशन	03
460	बदरपुर बार्डर	मिंटो रोड ट.	04
473	बदरपुर बार्डर	आनन्द विहार	04
479	बदरपुर बार्डर	पंजाबी बाग	04
511ए	बदरपुर बार्डर	धौलाकुआं	06
522ए	हमदर्द नगर	राजेन्द्र नगर मार्किट	03
544	बदरपुर बार्डर	आर.के. पुरम सै. 1	07
717 बी	बदरपुर बार्डर	इंदिरा गांधी अंत.हवाई अ.	05
724	बदरपुर बार्डर	उत्तमनगर ट.	02
	कुल योग		38

- 14. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
  - (क) क्या पॉकेट ई-4, सैक्टर-7, रोहिणी के सामने दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई खाली कामर्शियल प्लाट पड़ा है,
  - (ख) यदि हाँ, तो क्या उस खाली प्लाट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वार कोई योजना बनाई गई है, और
  - (ग) क्या उस प्लाट का आबंटन नीलामी या टेंडर प्रक्रिया द्वारा होगा?

### शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ,
- (ख) जी हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्लॉट में एक कम्यूनिटी सैन्टर बनाने की योजना बनाई है, जो कि डी.यू.ए.सी. से स्वीकृत है।
- (ग) इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- 15. श्री देवेन्द्र यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) गाँव समयपुर, लिबासपुर, सिरसपुर, यादव नगर, जीवन पार्क, सरूप नगर, भलस्वा, जे.जे.कालोनी, नलस्वा डेरी व इस क्षेत्र के आस-पास स्थित अन्य कालोनियों के निवासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपींट की क्या व्यवस्था है;
- (ख) उपरोक्त क्षेत्र में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कौन-कौन से बस रूट चालू थे;

- 31
- (ग) वर्तमान में इन रूटों की क्या स्थिति है तथा जो रूट बंद कर दिए गए हैं, उनकी जगह क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;
- (घ) यदि नहीं, तो यह कब तक शुरू कर दी जाएगी; और
- (ङ) बादली विधान सभा क्षेत्र में श्रद्धानन्द कालोनी, भलस्वा, जे.जे. कालोनी, सरूप नगर, राजीव नगर, भलस्वा डेरी, गुरू नानक देव कालोनी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

## शिक्षा मंत्री

- (क) दिल्ली परिवहन निगम की गाँव समयपुर से 2 रूटों पर 13 बसें, सरूप नगर से 1 रूट पर 2 बसें, लिबासपुर होते हुए जी.टी. रोड और सरूप नगर में 34 रूटों पर 151 बसें, लिबासपुर होते हुए जी.टी. रोड और सरूप नगर के लिए 18 स्पेशल ट्रिप, सिरसपुर से 2 रूटों पर 4 बसें सिरसपुर से होते हुए 2 रूटों पर 5 बसें, यादव नगर से 1 रूट पर 2 बसें, भलस्वा, जे.जे कालोनी से 2 रूट पर 5 बसें एवं भलस्वा होते हुए 2 रूटों पर 5 बसें परिचालन में हैं। इसके अतिरिक्त एस.टी.ए. द्वारा जारी परिमट के अर्न्तगत 17 स्टेज कैरीज मिनी बसें फीडर सेवा के रूट मे परिचालित है। ग्रामीण सेवा के 3 रूटों पर 120 वाहन उपलब्ध हैं।
- (ख) वर्ष 2007-08 में रूट संख्या 100, 62, 165, 101, 103, 103 शटल, 112, 1210, 124, 125, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 146, 147, 148, 149, 154, 171, 172, 173, 175, 176, 187, 193, 194, 195 एवं 882 रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की 130 बसें परिचालन

में थी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा भी रूट संख्या 103, 131, 144ए, 165, 254, 133ए, 106ए पर बसें परिचालन में थी। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में दिल्ली परिवहन निगम की उपरोक्त रूटों के अलावा रूट संख्या 103 एक्सटेंशन, 134ए पर कुल 201 बसें परिचालन में थी। रूट संख्या 103, 131, 144, 165, 254, 133ए, 106ए पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें भी परिचालन में थी।

32

- (ग) बादली रेलवे स्टेशन पर फ्लाई ओर ब्रिज का निर्माण होने के कारण रूट संख्या 165 का वाया रोहिणी सेक्टर 18 बादली, आउटर रिंग रोंड से है तथा रूट संख्या 62 का परिचालन बंद है। रूट संख्या 165 व 62 के स्थान पर रूट संख्या 100ए, 199 और 879ए चलाये गए हैं। शेष रूटों के परिचालन को बंद नहीं किया गया है। रूट संख्या 131, 165, 106ए पर प्राइवेट ऑपरेटरों की बसें परिचालन में हैं।
- (घ) फ्लाई ओर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर फिर से ये बस सेवा शुरू कर दी जाएगी।
- (ङ) इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है।
- 16. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले रोड़, दयालपुर से शिव
   विहार तिराहा तक को चौड़ा करने हेतु विभाग द्वारा कब-कब सर्वे किया गया;

- (ख) क्या यह सत्य है कि भूमि एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे किये जाने के बावजूद अब तक भूमि अधिग्रहण संबंधी मामला विभाग के पास लंबित है;
- (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में मीटिंग बुलाने हेतु निवेदन किया गया था, और
- (घ) यदि हाँ, तो अधिकारियों के साथ मीटिंग न बुलाने के क्या कारण हैं तथा रोड को चौड़ा किये जाने संबंधी प्रक्रिया कब तक पूरी कर दी जाएगी?

#### लोक निर्माण मंत्री

- (क) सर्वे 14.3.2011 से 18.3.2011 तक किया गया।
- (ख) जी हाँ, यह सत्य है।
- (ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।
- (घ) भूमि अधिग्रहण का मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र न दिये जाने के कारण लंबित है।
- 17. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि सुभाष नगर ड्रेन की रिमॉडलिंग का कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है परन्तु वास्तविक रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ होगा एवं कब तक समाप्त होगा;

- (घ) क्या यह भी सत्य है कि आर.जेड.-10 से आर.जेड.-110, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली से जाने वाली मुख्य ड्रेन पर कुछ निवासियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे ड्रेन ब्लॉक हो गई है तथा डिसिल्टिंग में बाधा आ रही है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

#### शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हाँ,
- (ख) इस कार्य के एग्रीमेंट के अनुसार विभाग को काष्टिंग यार्ड के लिए ठेकेदार को भूमि उपलब्ध करानी है, लेकिन नगर निगम के कार्य क्षेत्र में यह भूमि उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अन्य विभागों से सम्पर्क किया जा रहा है।
- (ग) विभाग को काष्टिंग यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् यह कार्य शीघ्र ही शुरू करा दिया जाएगा। एग्रीमेंट के अनुसार इस कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि 27.03.2012 है तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.03.2015 है।
- (घ) इस ड्रेन पर सिवाए स्टैप्स व रैम्पस के अलावा कोई अतिक्रमण नहीं है। इस ड्रेन की सफाई करने में कोई रुकावट नहीं है।
- (ङ) यह विभाग जब भी आवश्यकता होती है नाले की सफाई करता है। घरों के आगे बने स्टैप्स के कारण नाले की सफाई में कोई रुकावट नहीं है।

- 18. डॉ. एस.सी.एल गुप्ता : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण सेवा कब से प्रारम्भ की गयी तथा इस योजना के तहत अब, तक कुल कितनी गाडियों पंजीकृत की गयी है; और
- (ख) अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें ग्रामीण सेवा के तहत एक व्यक्ति के नाम, एक से अधिक गाड़ियाँ पंजीकृत हुई हैं, उनका पूरा विवरण क्या है?

#### परिवहन मंत्री

- (क) दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण सेवा दिनांक 24.7.2010 से प्रारंभ की गयी तथा इस योजना के तहत दिनांक 16.5.2011 तक कुल 6153 गाड़ियाँ पंजीकृत की गयी है।
- (ख) ग्रामीण सेवा योजना के अंर्तगत एक व्यक्ति को एक से अधिक परिमट के आवंटन पर कोई रोक नहीं है। ग्रामीण सेवा के तहत 569 व्यक्तियों के नाम, एक से अधिक गाडि़यां पंजीकृत हुई हैं, उनका विवरण संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- 19. श्री प्रहलाद सिंह साहनी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा अपनी बिल्डिंग बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम से नक्शे पास करवाने पड़ेंगे;
- (ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है?

#### स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा अपनी बिल्डिंग बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम से नक्शे पास करवाने पडेंगे।
- (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद 332, 333 (प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' में संलग्न है) के अंतर्गत सभी भवनों के निर्माण की स्वीकृति नगर निगम द्वारा ही दी जाती है।

इस विषय पर मास्टर प्लान-2021 के पैरा संख्या 4.2.3.4 के अन्तर्गत स्लम एवं जे.जे. के विषय में विस्तारपूर्वक उन पैरा/10/ में कहा गया है कि सभी योजनाएं स्थानीय निकाय से स्वीकृत कराना अनिवार्य है। इस प्रकार जो एरिया दि.न.नि. के अधीन है उनपर बिल्डिंग बनाने हेतु नक्शे दि.न.नि. से स्वीकृत कराने पड़ेगे। अनुलग्नक 'ख' संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

#### **Prohibition of Building without Sanction**

No person shall erect or commence to erect any building, or execute any of the works specified in section 334 except with the previous sanction of the commissioner, not otherwise than in accordance with the provisions of this Chapter rand of the bye-laws made under this Act in relation to the erection of buildings or execution of works.

#### **Erection of Building**

1. Every person who intends to erect a building shall apply for sanction by giving notice in writing of his intention to the Commissioner in such form and containing such information as may be prescribed by bye-laws made in this behalf.

2. Every such notice shall be accompanied by such decumenis and plans as may be so prescribed.

#### Applications for additions to, or repairs of buildings

Every person who intends to execute any of the following works, that is to say—

- (a) to make any addition to a building;
- (b) to make any alteration or reparis to a building involving the removal which supports the roof thereof to an extent exceeding one-half of such wall above the plinth level, such half to be measured in superficial feet;
- (c) to make any alterration or repairs to a frame building involving the removal or re-erection of more than one-half of the posts in any such wall thereof as aforesaid; or involfing the removal or re-erection of any such wall thereof as aforesaid to an extent exceeding one-half of such wall above plinth level, such half to be measure din superficial feet;
- (d) to make anny alteration in a building involving—
  - (i) the sub-division of any room in such building so as to convert the same into two or more separate rooms, or
  - (ii) the conversion of any passage or space in such building into a room or rooms;
- (e) to repair, remove, construct, reconstruct ormake any addition to or structural alteration in any portion of a building abutting on a street which stands within the regular line of such street;
- (f) to close permanently any door or window in an external wall;
- (g) to remove or reconstruct the principal staircase or to alter its position;

shall apply for sanction by giving notice in writing of his intention to the Commissioner in such form and containing such information as may be prescribed by bye-laws made in this behalf.

अनुलग्नक 'ख'

Provided that the Board shall not make use of the land under or appurtenant to any lawfully existing and duly authorized building.

The Board shall, as far as may be, make use of the land under this Chapter belonging to the Government, the Central Government, a local authority, Government undertaking or autonomous body in preference to other sites:

Provided that the prior approval of the Central Government shall be taken if the land in question belongs to the Central Government

Before making use of any site under this Chapter, the Board shall call upon the owner thereof or any person in possession of the site or managing it, to show cause within seven days of the service of notice as to why such temporary use of land should not be made:

Provided that before utilizing the site under this sub-section, the Board shall consider the representation, if any, made by such person in this behalf.

If the Board is satisfied, after having considered any representation made under sub-section (1), that it is necessary to make use of the site, the Board may proceed to make use of such site and may use such force for the purpose as may be necessary.

Provided that where the site belonged to the Central Government or any of its agencies or organizations, prior approval shall be taken of the Central Government or its agency, or organization concerned.

Notwithstanding the provisions of any other law for the time being in force, no lease or other agreement entered into in respect of such site shall be a ground for refusal to allow temporary use by the Board of such site.

#### **Night Shelter**

The provision of night shelters is envisaged to cater to the shelterless, which are proposed to be provided near the Railway Terminals, Bus Terminals, Wholesale/Retail markets, Freight Complexes etc. as per requirements, and should be identified keeping in view major work centres. Special provisions should be made for the homeless, women and children including the disabled, orphans and old. In addition, multipurpose use of the existing facility buildings may be allowed for night shelter purpose. Provision should also be made for converting existing buildings, wherever available, with suitable modifications into night shelters.

On the basis of the 2001 Census of houseless population, at least 25 sites should be earmarked in Delhi for night shelters. In order to make the provision of this facility financially sustainable for the local body, innovate concepts such as integrated complex with commercial space on the ground floor and night shelter on the first floor should be explored. The guidelines and incentive package should be designed by the concerned local agency in collaboration with the Govt. of NCT-Delhi with a view to develop self-sustaining night shelters. On night shelter shall be provided for 1 lakh population.

#### New Housing

New housing should be in the room one or two room units, which would be developed through public and private agencies and through Cooperative societies. As this category constitutes bulk of the housing stock that has to be catered at an affordable price to the lowest income bracket as housing for Economically Weaker Sections (EWS), this is often done by cross-subsidization.

For this purpose, adequate land would be earmarked for EWS housing. The developers of group housing shall ensure that minimum 15% of FAR or 35% of the dwelling units, whichever is more, are constructed for Community\_Service Personnel/EWS and lower income category. In old built up areas, this may be as redevelopment schemes or industrial housing

etc., whereas, in urbanextensions, the acquisition and development cost of this land should be borne by rest of the project. Such reserved lands should be handed over to a designated agency for promoting housing for low income and weaker sections.

The pattern of EWS housing shall be such as to ensure optimal utilization of land in a sustainable manner. For that purpose, multi-storied housing will be the preferred option. Apart from mandatory provision for EWS housing in all group housing projects/schemes, the primary responsibility for creating adequate stock of housing for urban poor shall be borne by public agencies.

Slum it Redevelopment Regulations and Guidelines for Collective Community Rehabilitation/Relocation-in-situ Up-gradation/Rehabilitation on Slum and JJ Clusters and Resettlement Colonies.

The concerned implementing agency/corporate body should work out schemes for collective community rehabilitation/relocation and explore the possibility of involving private sector/slum cooperatives. In existing resettlement colonies, redevelopment, regular servicing and maintenance, which are overdue, are to be based on the guidelines and incentives as applicable for the Slum and JJ Rehabilitation Scheme.

The following guidelines with site-specific relaxations may be adopted as required. Regular monitoring of executed schemes and revision of these guidelines at the time of preparation of new shemes is essential. Group housing norms shall be applicable with the following conditions:

- (i) Minimum plot size 2000 sqm (facing a min. road of 9m).
- (ii) Maximum density 600 units per ha.  $\pm$  10% variation, on residential component of the land.
- 20. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वजीराबाद रोड़ पर डी. टी.सी. बसें चलाने की योजना थी;

- (ख) उक्त बसें इस रोड़ पर न चलाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) उक्त रोड़ पर डी.टी.सी. बसें कब तक चला दी जाएगी?

## शिक्षा मंत्री

(क) गोकुलपुरी विधान सभा क्षेत्र में वजीराबाद रोड से काफी संख्या में बसें व रूट परिचालन में हैं जिनका विवरण संलग्न 'क' में उपलब्ध है। अतः वर्तमान में वजीराबाद रोड़ पर और बसें चलाने की योजना नहीं है।

(ख)व(ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

संलग्न 'क' वजीराबाद होते हुए गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र से बस परिचालन

— रूट सं.	कहाँ से	कहाँ तक	बसों की
			संख्या
33	भजनपुरा	नोएडा सैक्टर-37 (अरुण विहार)	50
33ए	बदरपुर खादर सं.न. 27	नोएडा सैक्टर-37 (अरुण विहार)	4
163	आनन्द विहार, अ.रा.ब. अड्डा	नरेला टर्मिनल	2
165	शाहबाद डेयरी	आनन्द विहार अ.रा.ब. टर्मिनल	55
210	हर्ष विहार	केन्द्रीय टर्मिनल	9
212	आनन्द विहार, अ.रा.ब. टर्मिनल	आनन्द पर्वत	41
217	गोकुलपुर	रेलवे स्टेशन	01

तारांकित प्रश्नों	के लिखित उत्तर	42	28 मई, 2012
234	हर्ष विहार	कर्मपुरा टर्मिनल	14
234ए	हर्ष विहार	तिलक नगर	16
235	नन्द नगरी टर्मिनल	वजीरपुर जे.जे. कालोनी	6
253	यमुना विहार सी-4	मोरीगेट टर्मिनल	15
254	बाबरपुर एक्सटेंशन	नांगलोई जे.जे. कालोनी नं2	48
259	हर्ष विहार	जहांगीरपुरी ई-ब्लॉक	12
260	यमुना विहार सी-4	केन्द्रीय टर्मिनल	2
261	नन्दनगरी टर्मिनल	सराय कालेखां, अ.रा.ब. टर्मिनल	12
262	हर्ष विहार	कल्याण विहार	3
263	इन्द्रापुरी (लोनी)	मोरीगेट टर्मिनल	2
333	आनन्द विहार, अ.रा.ब. टर्मिनल	जहांगीरपुरी ई-ब्लॉक	13
784	यमुना विहार सी-1	कमला मार्किट	3
971	आनन्द विहार, अ.रा.ब. टर्मिनल	रोहिणी सैक्टर-1, अवन्तिका	58
971ए	आनन्द विहार, अ.रा.ब. टर्मिनल	शालीमार बाग	2
बाहरी मुद्रिका	आनन्द विहार	आनन्द विहार, अ.रा.ब. टर्मिनल	118
(+) (-)	अ.रा.ब. टर्मिनल		
		अ.रा.ब. टर्मिनल नित्यानन्द मार्ग	20
सेवा (+) (-	)		
एनसीआर	नानकसर गुरूद्वारा	गाजियाबाद	20
		योग	526

## वजीराबाद होते हुए गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र से लिमिटेड एवं स्पेशल ट्रिप बस परिचालन

0715	इन्द्रापुरी (लोनी बार्डर)	केन्द्रीय कार्यशाला-2 तेखण्ड
0745	इन्द्रापुरी (लोनी बार्डर)	केल्द्रीय कार्यशाला-2 तेखण्ड
1700	केन्द्रीयकार्यशाला-2	इन्द्रापुरी (लोनी बार्डर)
1730	आर.के. पुरम, सैक्टर-1	इन्द्रापुरी (लोनी बार्डर)
1740	केन्द्रीयकार्यशाला-2	इन्द्रापुरी (लोनी बार्डर)
0840	सी-4 यमुना विहार	न्यू राजेन्द्र नगर
0830	सी-4 यमुना विहार	आर.को. पुरम, सैक्टर-1
0800	सी-9 यमुना विहार	सेना भवन
0820	सी-9 यमुना विहार	एनसीईआरटी
0750	सी-9 यमुना विहार	एनसीईआरअटी
0815	सी-9 यमुना विहार	नेहरू प्लेस टर्मिनल
0845	सी-9 यमुना विहार	नेहरू प्लेस टर्मिनल
0815	सी-9 यमुना विहार	आर.के. पुरम, सैक्टर-1
1810	नेहरू प्लेस टर्मिनल	सी-9 यमुना विहार
1745	आर.के.पुरम, सैक्टर-1	सी-9 यमुना विहार
1810	आर.के.पुरम, सैक्टर-1	सी-9 यमुना विहार
0850, 0915	कैलाश नगर पुस्ता	भजनपुरा (वाया रूट नं. 24)
1745, 1815	भजनपुरा	कैलाश नगर पुस्ता (वाया रूट नं24)
0830	नन्द नगरी सी. सैंटर	आर.के. पुरम, सैक्टर-1 (वाया रूट नं.53)

- 2. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न अनिधकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईटें अभी तक नहीं लगी हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या इन कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईटें लगाने की कोई योजना है;
- (ग) यदि हाँ, तो इन कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईटें किस विभाग द्वारा और कब तक लगवा दी जाएंगी; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(क) शहरी विकास विभाग द्वारा फन्ड उपलब्ध कराये जाने पर अब तक एन.डी. पी.एल. द्वारा नरेला विधानसभा में 17 अनिधकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाई गई है।

## (ख), (ग) व (घ) उपरोक्तानुसार।

- 3. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र की पुर्नवास कॉलोनी से.-27 रोहिणी तथा स्वर्ण जयन्ती विहार टीकरी खुर्द में सामुदायिक भवन बनाने के लिए जगह का प्रावधान किया गया था;
- (ख) यदि हाँ, तो काफी समय बीत जाने के बाद भी यहाँ सामुदायिक भवनों का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है;

- (ग) क्या यहाँ सामुदायिक भवन बनाने की योजना है; और
- (घ) यदि हाँ, तो सै.-27 रोहिणी तथा स्वर्ण जयन्ती विहार टीकरी में सामूदायिक भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा?

45

## शहरी विकास मंत्री

- (क) (ख) (ग) एवं (घ) : जी नहीं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने स्वर्ण जयन्ती विहार टीकरी खुर्द में एक बस्ती विकास केन्द्र बनाया है जोकि सामुदायिक भवन का कार्य करता है।
- 4. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक के विधायक कोष से दिल्ली नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य करवाए जाने हैं और उनका पैसा विधायक कोष से करीब चार माह पहले दिल्ली नगर निगम प्रोजैक्ट विभाग नरेला में जमा कराया जा चुका है, परन्तु ये कार्य अब तक शुरु नहीं कराए गए;
- (ख) यदि हाँ, तो यह कार्य अब तक शुरु क्यों नहीं कराए गए; और
- (ग) इन कार्यों को कब तक शुरु करा दिया जाएगा?

#### शहरी विकास मंत्री

(क) नरेला विधान सभा क्षेत्र में कुल 16 कार्यो के आदेश दिए गए हैं, जिनमें 3 कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं, 2 कार्य प्रगति पर हैं, 7 कार्य चुनाव आचार संहिता की वजह से शुरु नहीं किए जा सके थे जो कि जल्दी प्रारम्भ किए जा रहे हैं तथा 4 कार्यों के अभी-अभी कार्य आदेश जारी हुए हैं, जिनके कार्य शुरु कराने के लिए प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

## (ख) व (ग) उपरोक्तानुसार।

- 5. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि तमाम चाँदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में मजनूं का टीला, पुरानी चन्द्रावल, बुलवर्ड रोड़, प्रियदर्शनी कॉलोनी, जामा मस्जिद, चाँदनी चॉक आदि जगहों पर रहने वाले सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों की हालत बहुत ही दयनीय है और इन सभी क्वार्टरों में सुधार की आवश्यकता है;
  - (ख) क्या दिल्ली नगर निगम इन सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के मकानों की मरम्मत के लिए पक्षपात का रवैया रखती है तथा उच्च श्रेणी के क्वार्टरों के अन्दर सभी सुविधा है और चतुर्थ श्रुणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के सुविधाओं से वंचित रखती है,
  - (ग) दिल्ली सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, और दिल्ली नगर निगम को आदेश दें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के क्वार्टरों की भी मरम्मत आदि के कार्य अतिशीघ्र कराये जायें तथा सरकारी प्रावधान के मुताबिक इन लोगों को जी भी सुविधा मिल सकती हो, अतिशीघ्र दिलवायी जाये?

- (क) यह सत्य नहीं है। परन्तु जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वहाँ पर फंड की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराए जाते हैं।
- (ख) उपरोक्तानुसार।
- (ग) उपरोक्तानुसार।
- 6. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिनियम के प्रावध ानों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राईवट कटरों के सुधार कार्य किये जाने है;
  - (ख) क्या यह भी सत्य है कि शहरी विकास विभाग द्वारा स्लम कटरों के सुधार के लिये प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपया दिया जाता है;
  - (ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछले एक वर्ष में कार्य नहीं हो पाने की वजह से शहरी विकास विभाग द्वारा स्लम कटरों के सुधार हेतु मात्र एक करोड़ रुपया ही दिया गया है; और
  - (घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या योजना है, और कब तक, वह योजना कार्यान्वित कर दी जायेगी?

## शहरी विकास मंत्री

(क) मंत्रीमंडल के निर्णय संख्या 1887 दिनाँक 10.05.2012 के अनुसार Common

Services/ Facilities के सम्बंध में विकास कार्य दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कराये जाएगे।

- (ख) जी नहीं। स्लम कटरो के लिए आवश्यकतानुसार बजट दिया जाता है। शहरी विकास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न राशि जरुरत अनुसार कटरों के सुधार के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- (ग) जी नहीं। पिछले वर्ष शहरी विकास विभाग ने 150.00 लाख रुपये निर्गत किया है एवं जरुरत के अनुसार हर वर्ष बजट दिया जाता है।
- (घ) इस वर्ष 2012-13 में कटरों सुधार के लिए रुपये 150.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। स्लम कटरों में सुधार कार्य प्रगति पर है।
- 7. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि सफाई कर्मचारी तथा तचुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जिनकी बेसिक सेलरी तीन हजार या पैंतीस सौ से अधिक है, उनको दा कमरों का सैट दिये जाने का प्रावधान है।
  - (ख) क्या यह भी सत्य है कि अरुणा नगर-मजनू का टीला, पुरानी चन्द्रावल बुलवर्ड रोड़, चांदनी चौंक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट आदि तमाम चांदनी चौंक विधान सभा क्षेत्र में इस तरह की फैसिलिट नहीं है तथा चांदनी चौंक विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है; और
  - (ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

- (क) सफाई कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का आवंटन निर्धारित नये वेतनमान में ग्रेड पे के आधार पर होता है। इसमें टाइप-1 एवं टाइप 2 देने का प्रावधान है।
- (ख) यह सत्य नहीं है।
- (ग) उपरोक्तानुसार
- 8. श्री श्यामलाल गर्ग: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वर्ष 2011-2012 में शकूर बस्ती विधान सभा क्षेत्र संख्या 15 के लिए विध ायक निधि से दिल्ली नगर निगम को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;
- (ख) इन धनराशि की ब्याज राशि क्या है; और
- (ग) इस धनराशि में से कितनी राशि बची है तथा क्या इस फंड की राशि को अगले वर्ष बढ़ाया जाएगा?

- (क) 2011-12 में 100.00 लाख रुपये (Mandatory Fund), 268.03 लाख रुपये (Discretionary Fund) प्राप्त हुए।
- (ख) 2011-12 में 15.72 लाख रुपये प्राप्त हुए जो कि उनके खाते में जोड़ दिया गया है।

- (ग) 2011-12 में शेष राशि क्रमश: 111.13 लाख (Mandatory Fund) 434-92 लाख रुपये (Discretionary Fund) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास शेष है।
- 9. श्री श्यामलाल गर्ग: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित फंड में से कितनी धनराशि आवंटित की गई; और
- (ख) इस धनराशि को आवंटित करने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए?

- (क)व(ख) राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित योजनाओं के लिए आबंटित राशि का प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा वर्ष विशेष में अनुमानित खर्च व सम्बन्धित योजनाओं को स्वीकृत करने वाली कम्पीटेन्ट अथारिटी की संस्तुति के आधार पर किया गया है। अत: राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दी जोन वाली राशि के आबंटन में विधानसभा क्षेत्रानुसार का आबंटन करने का कोई मापदंड नहीं है।
- 10. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि त्रिलोकपुरी विधान सभ क्षेत्र में काफी अनिधकृत कालोनियां हैं,
  - (ख) यदि हाँ, तो इनमें विकास के कार्य कब शुरु होंगे व विकास कार्यों के लिए विधायक निधि का उपयोग कब से कर सकते हैं व कौन-कौन सी सरकारी एजेन्सियां यहाँ विकास कार्य कर सकती हैं,

- (ग) उपरोक्त अनिधकृत कालोनियों में से कितनी कालोनियों की नियमितिकरण के लिए संस्तृति की गई है,
- (घ) उपरोक्त अनिधकृत कॉलोनियों में से कितनी कॉलोनियों में नियमितिकरण के लिए कोई बाधा नहीं हैं,
- (ड.) अनिधकृत कालोनी विकास बोर्ड के माध्यम से यहाँ बिजली के खम्बे आदि लगवाने के लिए क्या प्रावधान हैं, और
- (च) उपरोक्त अनिधकृत कॉलोनियों में सीवर लाईन बिछाने का कार्य कब तक शुरु हो जायेगा?

- (क) जी हाँ, त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में 20 अनिधकृत कॉलोनी है।
- (ख) विकास कार्य डी.एस.आई.आई.डी.सी. आई एन्ड एफ.सी. द्वारा कराया जा रहा है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत इनमें से जो कालोनियां 1018 (733+285) की सूची में शामिल है उनमें से 14 कालोनियों में विकास कार्य जारी है। त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र की 03 अनिधकृत कालोनियों में विकास कार्य के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अनिधकृत कालोनियों के विकास कार्यों के लिए विधायक निधि का उपयोग नियमानुसार नहीं किया जा सकता है। डी.एस.आई.आई.डी.सी. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सम्बन्धित नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के द्वारा विकास कार्य करवाया जा सकता है। वर्तमान में यह कार्य डी.एस.आई.आई.डी.सी. एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

- (ग) शून्य
- (घ) प्रश्न नहीं उठता।
- (ड.) अनिधकृत कालोनी विकास बोड अनिधकृत कालोनियों में विकास कार्यो की त्वरित प्रगति के लिए देख-रेख एवं समन्वय का कार्य करता है।
- (च) प्रतिलिपि संलग्न है।

Subject: Unauthorized colonies regarding provision of water and sewer facilities as on 25.1.2012

				Facil	Facility Provided	
S.N.	S.N. Name of the Assembly Constituency	Registration No.	ion Name of the U/A Colony	Water	r Sewer	Remarks
-	2	3	4	5	9	7
	Under EE (East)-I AC-55 Trilok Puri Sh. Sunil Kumar	nar				
<del>_</del> i		326	326 New Ashol Nagar, E-Extn, Harijan Basti, Delhi-110096	Yes	Laying of new sewer lines pertain to CE(P) DR-II	Notified
7		422	New Ashok Nagar, Delhi-96	Yes	-op-	Notified
33		428	New Ashok Nagar, C-Block, Delhi-96	Yes	-op-	Notified
4.		452	New Ashok Nagar, B-I, Block, Delhi-96 Yes	y Yes	-op-	Notified
5.		547	New Ashok Nagar, D-Block, Shahdara, Delhi	Yes	-op-	Notified
9.		557	<ul><li>557 New Ashok Nagar, C'Extn, Block,</li><li>Delhi - 110096</li></ul>	Yes	-op-	Notified

अतार	ांकित प्रश	नों के ति	প্রিব	उत्तर		54					28 म	ई, 2012
7	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified	Notified		Land Status not cleared
9	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-	-op-		-op-
S	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		No
4	New Ashok Nagar, E-Block, Delhi-96	New Ashok Nagar, Chilla Block-A, Delhi - 96	New Ashok Nagar, Block-B-I, Delhi-96	New Ashok Nagar, Chilla Saroda Bangar, Yes Delhi-110096	Chilla Saroda Extn. Near Mayur Vihar, Ph0I, Delhi-110091	New Ashok Nagar Blk-E & D (E&D), New Delhi-110096	New Ashok Nagar C-2, Block, Delhi-96	New Ashok Nagar, Block C-I Delhi	Chilla Saroda, Delhi	Kotla Village Extn. Mayur Vihar-I Delhi-91		Dallu Pura Extended Abadi, New Ashok Nagar
3	584	989	229	629	827	878	886	1048	1171	1217		348
2						2		<del></del> -		<b>V</b> 5	AC-56/Kondli Sh. Amrish Gautam	7.
1	7.	∞.	9.	10	11	12.	13.	14.	15.	16.		17.

1 2	3	4	5	9	7
18.	546	Village Gharoli Extn, A-Block, Harijan Basti, New Delhi	Yes	-op-	Notified
19.	984	Harijan Basti C-Block, Gharoli Extn, Delhi-96	Yes	-op-	Notified
20.	1288	Kondil Colony, New Ashok Nagar, Delhi-96	Yes	-op-	Notified
21.	1445	Durga Park, Durga Mohalla, Dallupura East, Delhi	Yes	-op-	Notified
22.	1476	Gharoli Extn., B-Block, Rajbir Colony Delhi-96	Yes	-op-	Notified
AC-57/Patpar Ganj Sh. Anil Kumar					
23.	47	East Vinod Nagar, J'Block, (Part of East Vinod Nagar) Delhi-110091	Yes	-op-	Notified
24.	112	Shashi Garden, E-Block, Shahadara, Delhi-91	Yes	-op-	Notified
25.	158	Mandawali, C-Block, Fajalpur, Unche Par, Delhi-110092	Yes	-op-	Notified
26.	269	Janta Garden, Left-out Portion, E-Block Yes Pandav Nagar, Delhi-110091	Yes	-op-	Notified

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 55

ज्येष्ठ 07, 1934 (शक)

1	2	3	4	5	9	7
27.		664	Vinod Nagar (North A Block) Mandawali Yes	Yes	-op-	Notified
28.		969	Mandawali Fajalpur, B-Block, Delhi	Yes	-op-	Notified
29.		922	West Vinod Nagar, D-Block, Delhi-92	Yes	-op-	Notified
30.		932	India Colony, School Bloc, Mandawali, Delhi	Yes	-op-	Notified
31.		1079	Uttariya School Block, Mandawali, Fajalpur Extn. Kalyan Marg, Delhi-92	Yes	-op-	Notified
32.		1199	Pandav Nagar E&F Block, (LPO) Delhi	Yes	-op-	Notified
33.		1203	Pratap Nagar, Mayur Vihar Ph-I, Delhi	Yes	-op-	Notified
34.		1207	East Vinod Nagar, R'Block, Delhi-09	Yes	-op-	Notified
35.		1289	Harijan Basti, Purani Abadi, Patpar Ganj, Yes Delhi-110091	Yes	-op-	Notified
36.		1377	School Block, Unche Pur, Mandawali Fazalpur, Delhi	Yes	-op-	Notified
37.		1507	Pratap Nagar, Near Mayur Vihar, Delhi	Yes	-op-	Notified
A S	AC-58/Laxmi Nagar Sh. A.K. Walla					
38.		75	Pandav Nagar S-Block, Delhi-110092	Yes	-op-	Notified

56

28 मई, 2012

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

- (क) क्या यह सत्य हैं कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य कर चुका है और भविष्य में बहुत सारे विकास कार्य करने की योजना है,
- (ख) यदि हॉ, तो विधायक निधि से हो चुके विकास कार्य व विधायक निधि से होने वाले भविष्य में विकास कार्यों की पूर्ण जानकारी राशि सहित उपलब्ध करवायें और यह विकास कार्य कब तक शुरु होंगे,
- (ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा यमुनापार विकास बोर्ड के फण्ड से होने वाले विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवायें व यह कार्य कब तक शुरू होंगे,
- (घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति बोर्ड (SCP Plan) द्वारा उपलब्ध राशि से कौन से विकास कार्य किये जाने वाले हैं। कृपया कार्य व राशि सहित पूर्ण जानकारी दें व यह कार्य कब तक शुरु होंगे, और
- (ड) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा झुग्गी बस्ती व कलस्टर में कितने विकास कार्य हुए हैं व कितने विकास कार्य भविष्य में होने हैं। राशि सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवायें?

## शहरी विकास मंत्री

(क) जी हां, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कर चुका है और भविष्य में बहुत सारे विकास कार्य करने की योजना है।

- (ख) विधायक निधि से हो चुके विकास कार्यों की सूची अनुलग्नक नं 2 पर उपलब्ध है।
- (ग), (घ) व (ड.) सूची अनुलग्नक नं. 1, 2, 3, 4 फण्ड से सम्बन्धित विस्तृत उपलब्ध है।

सूची-1 **EIUS WORKS FOR THE YEAR 2011-12** 

## **Work Completed**

S.No.	Name of Work	Amt in Lacs Sanction	Expenditure	Remarks
1.	EIUS (F & drains) SH: P/LCC pavement drains and raising the lanes of JJC Sanjay Camp Block-27, Trilokpuri (Reinovated)	9.43	5.88	Work completed
2.	EIUS (B/F and drain SH: Improvement of drainges system by P/LCC pavement and construction of SW drains in lanes near BVK in JJC Block-6, 7 and 8 Tirlokpuri	3.85	4.07	Work completed
3.	EILU (B/F and drains) SH: Improvement of Shishu Vatika at 6, 7 and 8 opposite Block-9, Tirlokpuri near BVK.	3.77	2.75	Work completed
4.	EIUS (B/F and drains) SH: P/F MS grating on the drains at the crossing of lanes and P/C CC pavement in remaining Ninor lanes of JJC Block-32 and 34, Trilokpuri		Nil	Work completed
5.	Improvement of boundary wall for existing Shishu Vatika in JJC Indira Camp Block-1, 2, 3 Trolokpuri		Nil	Work completed

S.No.	Name of Work	Amt in Lacs Sanction	Expenditure	Remarks
6.	Improvement of drainage system by construcing sw drain in JJC Block-26 Trilokpuri	2.25	Nil	Work completed
7.	Improvement of lanes by raising and providing and laying CC Pavement and con of SW drains in JJ Cluster Sanjay Shakha Camp Block 15-16 Trilokpuri	4.18 st.	Nil	Work completed
8.	P/F M.S. Grating on the drains at the crossis of lanes and P/L C.C. pavement and C/O SV drains in remaining lanes of Jj cluster Block 28 & 29 Trilokpuri	W	Nil	Work completed
9.	Re-Construction of boundary wall (Titled portion) of Shishu Vatika/park at JJC Indira Camp Block 28, 29 & 19 Trilokpuri	2.08	Nil	Work completed

## Work Proposed

S.No.	Name of Work	Amount Proposed Work	Expenditure Amount	Remarks
1.	Construction of entire main drain adjoining both sides of cluster for disposal of waste water of JJC Ambedker Camp 32-34, Trilokpuri	9.90	Nil	
2.	Renovation of existing JSC at Block 27, Trilokpuri.	9.80	Nil	
3.	Upradation of BVK by providing Kota Ston- Flooring in open land (Gourt Yard) at JJC Block-26, Trilokpuri.	e 3.8	Nil	
4.	Upradation of BVK at JJC Block-22 & 23, Trilokpuri.	2.61	Nil	

अतारां	केत प्रश्नों के लिखित उत्तर 60			28 मई, 2012
5.	A/R & M/O special repair of BVK at Block-1, 2 & 3, Trilokpuri	1.50	Nil	
6.	A/R and M/O special repair of BVK at Block-6, 7 & 8, Trilokpuri	1.50	Nil	
7.	A/R & M/O special repair of opp. BVK at Block-9, Trilokpuri	1.50	Nil	
8.	Improvement of Boundary wall and entire portion of BVK at Block-15, 16, Trilokpuri.	2.56	Nil	
9.	A/R & M/O special repair of BVK at der of 12.50m 2256 plots at Block-35 extra, Trilokpuri.	1.50	Nil	
10.	A/R & M/O special repair of BVK at Block-32-34, Trilokpuri	3.01	Nil	
11.	A/R & M/O special repair of BVK at Block-28.29, Trilokpuri.	1.50	Nil	
12.	Improvement of Boundary wall of existing Shishu Vatika by raising construction damaged portion and repairing and proving gates and washed stoned grit plaster along main Road opposite Block-15 to 18, Trilokpu	15.00 ri.	Nil	
13.	Improvement of Shishu Vatika by constructing walk way with P/L Chequers titles and Main etc. in JJC Block 28-29, Trilokpuri	15.00	Nil	

# सूची-2

## **EIUS WORKS FOR THE YEAR 2011-12**

## **MLA Fund: Work Completed**

S.No.	Name of Work	Section Amount	Expenditure Amount	Remarks
1.	Local area Development works under MLA fund SH: Construction of B/wall Block-6, 7 & 8 Trilok Puri	5.49	4.53	Work

## **Work in Progress**

S.No.	Name of Work	Section Amount	Expenditur Amount	e Remarks
1.	Construction of C/Hall oppsit Block 24, 25, Trilokpuri.	5.49	4.53	Work Completed
2.	MLA fund SH: construction of B/wall of the Indira Market at Block-36, Trilokpuri.	18.72	11.4	Work progress
3.	Construction of C/Room at open land oppsoit House NO. 35/174 Trilokpuri	9.95	Nil	Tender called likely to be started in the month of July.
4.	Construction of C/Room at Block 6, 7, Trilokpuri	9.82	Nil	Tender called likely to be started in the month of July
5.	Renovation of Existing BVK in JJC Block-28, 29 Trilokpuri	6.68	Nil	Tender called liekly to be started in the month of July
6.	Development of park by conscturcting walk was wise passage and filling the down protion of open land/park at block 17-18, Trilokpuri.		Nil	Tender called liekly to

## Work Proposed

S.No.	Name of Work	Section Amount	Expenditur Amount	e Remarks
1.	Construction of boundary wall for protection of vacant land and filling down portion at open space/land block-31, Trilokpuri.		Nill	Under process for call of tender likely to be started in the month of Aug.
2.	Construction of boundary wall Arround open land near block No. 26, Trilokpuri	8.860	Nil	Under process for call of tender likely to be started in he month of Aug.

अताराां	केत प्रश्नों के लिखित उत्तर	62		28 मई, 2012
3.	Construction of boundary wall Arround open land between block No. 33 & 34, Trilokpuri	5.600	Nil	Under process for call of tender likely to be started in the month of Aug.
4.	Raising/Renovation of existing boundary wall for protection of vaca land opposite block 24 and 25, Trilokpuri	1.990 nt	Nil	Under process for call of tender likely to be started in the month of Aug.
5.	Construction fo boundary wall for protection of vacant land opposite block-10, Trilokpuri	8.510	Nil	Under process for call of tender likely to be started in the month of Aug.
6.	Construction of boundary wall for protection of vacant and opposite block-9, Trilokpuri	9.930	Nil	Under process for call of tender likely to be started in the month of Aug.

# सूची-3

## **TYDBA Work in Process**

S.No.	Name of Work	Section Amount	Expenditure Amount	e Remarks
í	Construction of Balmiki Chaupal at JJ Colony Trilokpuri between block 10 & 11 Trilokpuri.	45.00	Nill	Work in progress

## Work in Proposed

S.No.	Name of Work	Section Amount (in lacs)	Expenditure Amount	e Remarks
1.	Construction Community Hall Block-3, Trilokpuri	375.00	Nill	A/A & E/S awaited. Tender to be called.

## **SC/ST Basti Funds**

S.No.	Name of Work		Section E Amount	Expenditure Amount	e Remarks
1.	Construction of Balmiki Copposite Block-17, Trilok	-	1.81	Nill	Likely to be started in September 2012
Prop	osed Work				
S.No.	Name of Work	Amount Proposed Work	Expenditu Amount		Remarks
	Dev of street in Trilokpuri area of Block-19 AC-55	24.83	Nill	Basti's w	submitted to SC/ST elfare Deptt. proposal sanctioned.
	Dev. of street in Trilokpuri area of Block 20 Ac-55	24.25	Nil	Basti's we	submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals sanctioned.
	Dev. of street in Trilokpuri area of Block-30 Ac-55	24.12	Nil	Basti's we	submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals sanctioned.
	Dev of street in Trilokpui area of Block 31, Ac-55	24.81	Nil	_	submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals ctioned.
5.	Dev of street in Trilokpui area of Block 32, Ac-55	24.25	Nil	•	submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals ctioned.
	Dev of street in Trilokpui area of Block 33, Ac-55	24.55	Nil	•	submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals ctioned.
	Dev of street in Trilokpui area of Block 34, Ac-55	24.50	Nil		submitted to SC/ST elfare Deptt. Proposals

to be sanctioned.

# 12. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) पहले दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं जे. जे. विभाग और उससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्लम विभाग के रुप में कार्य करता था.
- (ख) यदि हाँ, तो कोटला गांव स्थित कब्रिस्तान को कितनी जमीन का आबंटन किया गया है व क्या उसका डिमार्केशन हुआ है,

- (ग) यदि हॉ, तो कृपया जमीन का डिमार्केशन नक्शे में दर्शाकर नक्शा उपलब्ध करवाने की कृपा करें, और
- (घ) कृपया त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र का Survey Plan, Development Plan एवं Area Plan तीनों के अलग-अलग नक्शे उपलब्ध करवाने की कृपा करें?

- (क) जी हां।
- (ख) कोटला गांव के पास 5184.00 वर्ग मीटर भूमि कब्रिस्तान के प्रयोग हेतु आवंटित दर्शायी है।
- (ग) लागू नहीं होता।
- (घ) विभाग के पास केवल डेवलपमेंट प्लान है, जो संलग्न है पुस्तकालय मै संलग्न है।
- 13. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि त्रिलोकपुरी ब्लॉक नं.-16 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की जमीन पर नये बस टर्मिनल का निर्माण विचाराधीन है, और
  - (ख) यदि हॉ, तो इसके निर्माण में देरी होने के क्या कारण हैं,

(ग) यह नया बस टर्मिनल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा, कृपया नक्शे के दर्शाकर स्पष्ट करें?

## शहरी विकास मंत्री

- (क) जी हां, त्रिलोकपुरी ब्लाक नं. 16 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की जमीन के सम्बन्ध में यह कहना है कि प्रस्तावित भूमि आंवटन हेतु बोर्ड के विचाराधीन है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।
- (ग) जमीन उपलब्ध होने के पश्चात व परिवहन विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराने के पश्चात छ: महीने के भीतर निर्माण सम्भव है।
- 14. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) पहले दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं जे.जे. विभाग और उससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्लम विभाग के रुप में कार्य करता था,
  - (ख) यदि हाँ, तो कोटला गांव स्थित ईदगाह के लिए कितनी जमीन का आबंटन किया हैं व क्या उस जमीन की डिमार्केशन हो गयी है, और
  - (ग) कृपया उपरोक्त ईदगाह की जमीन को नक्शे द्वारा दर्शाकर उपलब्ध करायें?

#### शहरी विकास मंत्री

(क) जी हां।

- (ख) कोटला गांव के पास 4050,00 वर्गमीटर भूमि ईदगाह के प्रयोग हेतु आवंटन दर्शाई है।
- (ग) विभाग में "Development plan patparganj Area" उपलब्ध है जिसमें ईदगाह की जमीन को चिहिंत किया गया है।
- 15. श्री माला राम गंगवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) दिल्ली में डेयरी काफी संख्या में चल रही हैं, इन सभी डेयरियों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा.
  - (ख) मादीपुर विधानसभा में भी डेयरी काफी संख्या में हैं, क्या इन सभी डेयरियों को सरकार नोटिस जारी कर चुकी है,
  - (ग) रिहायशी स्थानों पर गिलयों में, पार्को में लोग गाय-भैंस पालते हैं, गन्दगी फैलाते हैं, मना करने पर लोगों से झगड़ा करते हैं, प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करता है, और
  - (घ) प्रशासन गलियों में बंधी गाय-भैसों को क्यों नही पकडता है?

(क) उत्तरी, दक्षिण व पूर्वी नगर निगम के शहरी क्षेत्र में चल रही डेयरियों को (जिनके मालिकों) को घोघा डैयरी में प्लाट आर्बटन हुआ है, घोघा डेयरी में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया जारी है तथा ऐसी डैयरियों को (जिनके मालिकों ने घोघा डेयरी में आवेदन नहीं दिया है/उन्हें डेयरी प्लाट आवंटन नहीं हुआ है) विभाग द्वारा हटाया जा रहा है।

सभी निगमों में, चल रही अवैध डेयरियों को हटाने / स्थानांतरित करने हेतु कार्यवाही नियमित रुप से चल रही है, जिसकी एक रिपोर्ट माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को भी प्रस्तुत इसी महीने में की गई है तथा अवैध डेयरियों को हटाने का कार्य माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

- (ख) अवैध डेयरी मालिकों को समाचार पत्रों के माध्यम से डेयरी को हटाने / स्थानान्तरित करने के लिए नोटिस छपवा दिए गए हैं।
- (ग) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशानुसार सभी नगर निगमों के शहरी क्षेत्रो में अवैध डेयरियों को हटाने का अभियान क्षेत्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है व ऐसे डेयरी मालिक जो इस कार्य में बाधा उत्पन्न/झगड़ा करते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत/एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जा रही है। अवैध डेयरियों के इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन काटने के साथ-साथ उन्हें सील भी किया जा रहा है। ऐसे लोगों की डेयरियों को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। शहरीकृत कालोनियों के गिलयों, पार्को पार्को से गाय व भैसों को दिल्ली नगर निगम इन्हें उठा कर पश्बंदीगृह/मौ सदन भेज देता है।
- (घ) विभाग द्वारा सभी अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा हैं, जिसमे गिलयों में बन्धी गाय-भैसो को भी पकड़ना शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह गिलयों/ सड़को आदि पर बंधी गाय/भैसों को हटाने की कार्यवाही भी पकड़ना शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह गिलयों/सड़कों आदि पर बंधी गाय/भैसों को हटाने की कार्यवाही भी सभी दिल्ली नगर निगमों द्वारा की जा रही है। गिलयां से गाय व भैसों को दिल्ली नगर निगम उठाकर पशुबन्दीगृह/ गौ सदन भेज देता है।

- 16. श्री माला राम गंगवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) मादीपुर रोड़ नं. 29 पर जो नाला प्रशासन ने ढका है, उस पर सरकार की क्या योजना हैं.
  - (ख) सरकार खाली पड़ी जमीन का क्या करेगी,
  - (ग) क्या सरकार उस पर दुकानें बनाने का मन बना रही है, या सरकार उस पर पार्किंग बनाने की योजना बना रही हैं.
  - (घ) सरकार की इस संबंध में क्या नीति है, स्पष्ट करें, और
  - (ड.) क्या सरकार इस पर काफी शॉप बना सकती हैं, इस खाली पड़ी जमीन का क्या उपयोग होगा?

- (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ऐसी कोई योजना नहीं है।
- (ख) से (ड.) उपरोक्तानुसार।
  - 17. श्री मनोज कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
  - (क) क्या मास्टर प्लान 2012 को अंतिम रुप दे दिया गया है,
  - (ख) यदि हाँ, तो मास्टर प्लान 2021 में मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कितने मार्ग बनाने प्रस्तावित हैं,

- (ग) इन मार्गो का कार्य कब तक शुरु कर दिया जाएगा;
- (घ) मास्टर प्लान 2021 के तहत मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कोई स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई. या कम्यूनिटी सैंटर इत्यादि बनाने का प्रस्ताव है: और
- (ड.) यदि हॉ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

- (क) से (ड.) तक सूचना एकत्रित की जा रही है।
- 18. श्री मनोज कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कुछ अनिधकृत कॉलोनियों पर Multiple RWA या Double Map से संबंधित विवाद थे;
- (ख) यदि हॉ, तो क्या ये विवाद सुलझा लिए गए हैं;
- (ग) यदि नहीं तों इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) जिन अनिधकृत कॉलोनियों के Multiple RWA विवाद सुलझा लिए गए हैं क्या उन पर विकास कार्य करवाए जा सकते हैं?

## शहरी विकास मंत्री

(क) जी हाँ। 10 कॉलोनियों में तथाकथित विवाद हैं।

- (ख) जी नहीं।
- (ग) यह विवाद विभिन्न आर.डब्ल्यू.ए. के आपसी मतभेदों के कारण नहीं सुलझ पाये है।
- (घ) जी हाँ। उन कॉलोनियों में विकास कार्य नियमानुसार कराए जा सकते हैं।
- 80. श्री मनोज कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि अनिधकृत कॉलोनियों के नक्शे सरकार द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे गए है;
- (ख) यदि हॉ, तो सर्वे ऑफ इंडिया इन नक्शों पर अपनी टिप्पणी देकर वापस शहरी विकास विभाग को कब तक भिजवा देंगे:
- (ग) सरकार ने अभी तक कितनी अनिधकृत कॉलोनियों को नियमित किया है उनका व्यौरा क्या है:
- (घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बहुत जल्द ही कॉलोनियों को नियमित करने की योजना है, और
- (ड.) यदि हाँ. तो कब तक?

- (क) जी हाँ.
- (ख) इस बारे में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।
- (ग) अनिधकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है।

(घ) एवं (ड.) सरकार जल्द से जल्द कॉलोनियों को नियमित करने के प्रयास में है किन्तु कोई समय सीमा इस विषय पर निर्धारित नहीं की जा सकती है।

72

- 20. श्री मनोज कुमार: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या दिल्ली की अनिधकृत बस्तियों को नियमित करने के दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं, यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण क्या है;
- (ख) दिल्ली में कौन-कौन सी ऐसी कॉलोनियां है जो इन दिशा-निर्देशों को पूरा कर रही हैं, विधानसभा क्षेत्रानुसार तथा रजिस्ट्रेशन नं. सहित पूरा ब्यौरा क्या है;
- (ग) जो कॉलोनियां नियमितिकरण के निर्धारित मानको को पूरा नहीं कर रही है तथा प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, सरकार उन कॉलोनियों के लिए क्या नीति बना रही है, और क्या सरकार उन्हें नियमित करने हेतु नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) क्या इन कॉलोनियों में भी विकास कार्य किए जाएंगे?

- (क) जी हॉ, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2008 के अनुसार दिशा-निर्देश निर्धारित हैं।
- (ख) अभी तक 1939 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी योग्यता के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन-कौन सी कालोनी दिशा-निर्देशों को पूरा कर रही है।

- (ग) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (घ) मन्त्री समूह की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने 1018 कालोनियों में विकास कार्य करने का निर्णय लिया है। यह सूची शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर दो हिस्सों में (733+285) उपलब्ध है।
- 21. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) नया मास्टरप्लान कब तक लागू होगा;
- (ख) उसमें धारा 33 और 81 के बारे में क्या प्रावधान किया गया है;
- (ग) लाल डोरे की जो सीमा है वो कितनी बढ़ाई जा रही है और कब तक इसे लागू किया जायेगा; और
- (घ) इसमें गॉव और अनाधिकृत कालोनियों के बारे में किस तरह का प्रावधान किया गया है?

- (क) दिल्ली मुख्य योजना 2012 की शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 07.02.2007 से अधिसूचित कर दिया गया है।
- (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार धारा 33 और 81 के बारे में मुख्य योजना 2021 में कोई प्रावधान नहीं है।
- (ग) नए मास्टर प्लान 2021 के उपखण्ड-8(2) के अन्तर्गत किसी भी उपयोग जोन में स्थित लाल डोरा फिरनी के भीतर गांव का भूमि उपयोग आवासीय है।

- (घ) मास्टर प्लान 2021 में गांव पर पैरा 3.3.1.3. (ख) व पैरा 4.2.2.2. (क) तथा अनिधकृत कॉलोनियों पर पैरा 3.3.1.3. (क) व पैरा 4.2.22. (ख) के अन्तर्गत विवरण प्रावधान दिए गए हैं। (अनुलग्नक 'क') पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसके उपरान्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद द्वारा ''विशेष क्षेत्र अनिधकृत नियमित कालोनियों तथा गांव आबादियों के लिए भवन निनियम 2010'' को 17.01.2011 को अधिसूचित कर दिया है। (अनुलग्नक 'ख') पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- 22. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या शहरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों में विकास विभाग ने सड़कों के निर्माण, सामुदायिक केन्द्र, चौपालों का निर्माण व क्रीडा स्थल आदि बनवाने की योजना है;
- (ख) यदि हॉ, तो कब तक एवं कहॉ-कहॉ और इसकी सूची क्या है; और
- (ग) यह कार्य कब तक शुरु कर दिए जाएंगे?

- (क),(ख) एवं (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।
- 23. श्री तरिवन्दर सिंह मारवाह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) वर्ष 2011-2012 में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कौन-कौन से कार्य किए गए, इसकी सूची क्या है; और

(ख) वर्ष 2012-2013 में सरकार द्वारा जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कौन-कौन से कार्य करने की योजना हैं, इसकी सूची क्या है?

75

# शहरी विकास मंत्री

- (क) वर्ष 2011-2012 में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से कराये गये विकास कार्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।
- (ख) वर्ष 2012-2013 में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से कराये जाने वाले विकास कार्यो की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

# अनुलग्नक 'क'

## WORKS UNDER MLA FUND OF SH. T.S. MARWAH FOR THEY YEAR 2011-2012

S.No.	Name Work	Cost	Remarks
1.	Construction of open section (both side) and improvement of road RMC from H.No. 10 to 27 in Krishna Market in Ward No. 155, Central Zone [-] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar.	724618	In progress (to be completed by 30.6.12)
2.	Improvement Developme t of lane [-along Nallah from H.No. E-II/40 to Rampul chowk (H.No. F-II/80)] by pdg. RMC for min lajpat Nagar_Ii in Ward No. 155, Central zone.	1196469	Completed
3.	Construction of open section drain and Development of lane by pdg. RMC [from H.No. L-II/58 to L-II/60] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar SH: 1 Construction of	803472	Completed

open section drain and development of lane by pdg. RMC [L-II/58 to II/114 and L-II/58 to L-II/83] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar SH: 2. Construction of open section drain and Development of lane by pdg. RMC [around the Park] by pdg. 0 from in lajpat Nagar SH: 3 Construction of open section drain and Development of lane by pdg. RMC [H.No. L-II/55 to L-II/47, L-II/66 to L-II/69 around the Park] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central Zone.

- 4. Improvement Development of lane [from H.No. H-1/21 to H-I/32] by pdg. 0 from the Lajpat Nagar SH: 1 Improvement Development of lane [FH. No. H-Development of lane [HI/55 to H-I/74] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar SH: 3 improvement Development of lane [H-I/138 to H-I/105] by pdg. 0 from in Lajpat Nagar SH: 4 Improvement Development of lane [and link adjoining park] by pdg. 0 from in lajpat Nagar SH: 5 improvement development of lane [H. No. 1/20 to I-1/33] by pdg. RMC from in Lajpat Nagar-I in Ward No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.
- 5. Improvement Development of roads/lanes and drainage system [along K-36] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 1 Improvement Development of roads/lanes and drainage system [from H. No. K-36 to Park] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 2 Improvement Development of roads/lanes and drainage system [along park] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 3 Improvements Development of roads/lanes and drainage system [from park to H.No. K-46] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 4 Improvement Development of roads/lanes and drainage system [along H.Ni. K-46] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 5 Improvement Development of roads/oanes and drainage system [around park] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 6 Improvement Development of roads/lanes and drainage

820837 In progress

888331 Completed

system [around park] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 7 Improvement Development of roads/lanes and drainage system [around park] by pdg. CC from in Lajpat Nagar SH: 8 Improvement Development of roads/lanes and drainage system [along K-48] by pdg. CC from in K-block Lajpat Nagar-II in Ward No, 155, Central Zone].

6. Improvement Development of lane [from H.No. I-1/71 310918 to I-1/76] by pdg. RMC from in Lajpat Nagar - I in Ward No. 144, central Zone, Lajpat Nagar.

Completed

- 7. Imp. Dev. of Chowk (infront of H.No. A-II/67 by pdg. RMC from the Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central 374377 Zone in Lajpat Nagar.
- 8. IMP. Dev of open section drain covered with precast RCC slab from H.No. A-II/31 to A-II/29 by pdg. B/W from in Lajpat Nagar SH: 1 Improvement Deve. of open section drain covered with precast RCC Slab (from H.No. A-II/28 to A-II/25) by pdb. B/W from in Lajpat Nagar SH: 2 Improvement Dev. of open section drain covered with precast RCC slab from H.No. A-II/25 to A-II/22 around park by pdg. B/W from in Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.
- 9. Imp Dev. of back lane (from H.No. M-II/40-M-II/31) by pdg. Interlocking tiles from in Lajpat Nagar SH: 1 Improvement Dev. of back lane (from H.No. M-II/1 to M-II/2) by pdg. Interlocking tiles from in Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.
- 10. Imp. Dev. of road side berms (both side) (from H.No. 1 to H.No. 30) by pdg. Interlocking tiles from in Vinobapuri in Ward No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.
- 11. Improvement Development of back lane [from H.No. 385104 104 to 113] by Pdg. RMC from in Lajpat Nagar SH:

Completed

238808 In progress

379053 Completed

346935 In progress

Completed

In progress

	Improvement Development of back lane [from H.No. 110 to 162] by pdg. RMC from in Vinobapuri in W.No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.		
12	Improvement Development of lane [from H.No. A-II/31 to A-II/29] by pdg. RMC from in Lajpat Nagar. SH:  1) Improvement Development of lane [from H.No. A-II/28 to A-II/25] by pdg. RMC from in Lajpat Nagar SH: 2) improvement development of lane [from H.No. A-II/25 to A-II/22 (around park) by pdg. RMC from in Lajpat Nagar SH: 3) Improvement Development of lane [from H.No. A-II/30 to A-II/35] by pdg. RMC from in Lajpat Nagar-II in W.No. 155, central Zone in Lajpat Nagar.	397637	In progress
13	. Improvement Development of side berms and covering of drain from H.No. I-II/68 to I-II/76 in Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central Zone.	67763	Completed
14	. Improvement of lane by pdg. RMC from H.No. 200 to 140 in Vinobapuri in Ward No. 155, Central Zone.	179813	Completed
15	. Improvement Development of back lane (from H.No. K-II/13 to K-II/26] by pdg. RMC from in K-II Block Lajpat Nagar-II in Ward No. 155, Central Zone in Lajpat Nagar.	323971	Completed
16	<ol> <li>Development of Charch lane by pdg. RMC from Tempel road to H.No. 11 Garhi Mohalla in Bhogal in Ward No. 156 Central zone.</li> </ol>	310749	Completed
17	. Development of Charch lane by pdg. RMC from Hospital road to central road Bhogal in Ward no. 156, Central Zone.	463988	Completed
18	. Development of Saman Bazar lane by pdg. RMC from Central Road to Temple road in Bhogal in Ward no. 156, Central Zone.	480270	Completed
19	. Development of Masjid lane by pdg. RMC from		_

Hospital Road to Central road in Bhogal in Ward no. 457197

156, Central Zone.

20.	Development of Masjid lane by pdg. RMC from Central Road to Temple Road in Bhogal in Ward No. 156, Central Zone.	478256	Completed
21.	Construction of open section drain [-] by pdg. B/W from on Hospital Roal from Jangpura road to Bhogal Road in Bhogal in Ward no. 156, Central Zone in Bhogal.	580511	Completed
22.	Improvement of remaining portion of the masjid land by pdg. RMC from Gurudwara Towards temple, road in bhogal in wart no. 156, Central Zone.	86942	Completed
23.	Improvement Development of back lane [from H.No. T-83 to 759] by pdg. RMC from in Bhogal in Ward no. 156, Central Zone in Bhogal.	441699	Completed
24.	Improvement of Church lane by pdg. RMC from central Road to Temple road in Bhogal in ward no. 156, Central Zone.	423886	Completed
25.	Development of Hospital road from mathura Road to Samman Bazar Road by pdg. Mettaling/Premixing in Bhogal in Ward No. 156, Central Zone.	489002	Completed
26.	Improvement of remaining portion of Church lane by pdg. RMC from Hospital road to Central road in Ward No. 156, Central Zone.	138171	Completed
27.	Development of Jangpura Road and Bhogal road by pdg. Mettaling/Premixing in Bhogal in Ward No. 156, Central Zone.	459800	Completed
28.	Development of road by pdg. Mastic Ashpalt from Mathura Road near Shalimar Cinema, Hari Nagar Ashram to T-Point at Bala Sahab Gurudwara and from Manokamna Mandir to Tikona Park Jeevan Nagar in Ward No. 156, Central Zone.	5674447	In progress
29.	Dev. of road by pdg. RMC from Sneha Jewellers to H.No. 4378/B in Darya Ganj Ward No./153, City Zone.	495252	Completed
30.	Dev of road by pdg. RMC from H.No. 4355/4C to 4348/4C in Darya Ganj W.No. 153, CZ.	499506	Completed

अतार	किंत प्रश्नों के लिखित उत्तर 80		28 मई, 2012
31.	Dev of gali by pdg. RMC from 4834/24 t 4857/24 Ansari Road Darya Ganj W.No. 153, CZ.	496282	Completed
32.	P/O SHML Dhobi Basti, Hari Bazar, Ashram, Shalimar in W.No. 156 under Central Zone.	455397	Completed
33.	Dev. of road by pdg. RMC from corner of Corporation Bank to H.No. 7/36 in Darya Ganj W.No. 153, City Zone.	496767	To be completed by Sep. 12
34.	Dev. of road by pdg. RMC from Mussadi Chowk to Haveli at Sarai Kale Khan in Ward No. 153.	493787	Completed
35.	Development of road by pdg. RMC from C-I to D-11 and A-23 to A-30 at Vikram Nagar in W.No. 153, City Zone.	498398	Completed
36.	Dev. of gali around the chaupal and infront of chaupal by pdg. RMC in Sarai Kale Khan in W.No. 153, City Zone	398641	To bo comleted to Sep. 12
37.	Dev. of lanes in front of part near M.C. Pry. School Sarai Kale Khan in W.No. 153, City Zone.	421280	Completed
38.	Dev of lanes in front of M.C. Pry. School and from Sunit Hotel to Ekta Hotel in Sarai Kale Khan in W.No. 1583, City Zone.	397500	To be comleted by Sep. 12
39.	Dev. of entrance road to Sarai Kale Khan Village near old authority and near R.U.B. up to M.C. Pry. School by pdg. RMC at Sarai Kale Khan Village in Ward No. 153, City Zone.	420004	Completed
40.	Dev. of boundary wall of park n DDA Flat at Sarai Kale Khan in ward no. 153, City Zone.	169178	To be completed by June-12
41.	Dev. of road by pdg. RMC from 4579/15 to 4593/15 and 4580/15 to 4581/15 in Darya Ganj at Ward No. 153, City Zone.	228434	To be Completed by July-12

- 25. श्री कुलवन्त राणा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
- (क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनिधकृत कॉलोनियों की सीमाएं तय करने का कार्य सर्वे आफ इंडिया को दिया गया था:
- (ख) यदि हाँ, तो सर्वे आफ इंडिया द्वारा कुल कितनी कालोनियों की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य पूरा कर लिया गया हैं, और कितनी बाकी हैं, पूर्ण विवरण सूची सहित मूहैया करवाया जाये;
- (ग) जिन कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो गया है उनको नियमित करने की शहरी विकास विभाग की क्या कोई योजना है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें; और
- (घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र की कुल कितनी कालोनियों की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और कितनी बाकी हैं, पूर्ण विवरण सूची सहित मुहैया करवाया जाये;

- (क) जी हाँ।
- (ख) एवं (ग) सर्वे ऑफ इन्डिया अब तक 464 कॉलोनियों की सीमा निर्धारित कर चुका हैं, (सूची संलग्न है (संलग्नक-1) जिन पर दिल्ली सरकार द्वारा विनयम में प्रदत्तत कार्यवाही जारी है।
- (घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र की कुल 24 अनाधिकृत कालोनियों में से एक कॉलोनी (रजिस्ट्रेशन नं. 27) की सीमाएं सर्वे ऑफ इन्डिया निर्धारित कर

चुकी है, जिसका विवरण संलग्न सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। में क्रम सं. 9 पर उपलब्ध है।

# 27. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सुन्दर नगरी के एफ-1. एफ-2 ब्लॉक के बीच डी.डी. ए. की सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा है,
- (ख) यदि हॉ, तो सरकार ने यह जमीन किस उद्देश्य के लिए चिन्हित की थी, तथा उक्त जमीन पर किस भू-माफिया का अवैध कब्जा है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जमीन का संयुक्त निरीक्षण भी कराया गया था,
- (घ) यदि हॉ, तो उक्त संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट क्या है,
- (ड.) क्या विभाग ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की है, और
- (घ) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त मामले में क्या कार्यवाही की और नहीं तो क्यों नहीं?

- (क) जी हाँ
- (ख) यह भूमि सरकारी सीनियर सकैन्ड्री स्कूल के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन इस पर मोहम्मद शेरनवी चमन नामक व्यक्ति का अवैध कब्जा है।
- (ग) (घ), (ड) व (च) जी हॉ, इस भूमि का संयुक्त निरीक्षण सीमापुरी व दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कब्जा हटाने के इरादे से

किया गया था परन्तु यह अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका क्योंकि दो कोर्ट केस (1) मोहम्मद शेरनवी चमन संग श्री एम.एस. शर्मा. उप-निदेशक और अन्य सूट नं. 3.6.07, सी.एस.-336/2011 एम-9-2011 कोर्ट में विचाराधीन है। (2) मोहम्मद शेरनवी चमन संग डी.डी.ए. और अन्य सूट नं. 2005 नया नं. 207/07 भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अगली सूनवाई 28.05.12 निश्चित है।

इन दोनो आदेशों स्थगना आदेश जारी किये गये हैं।

# 28. श्री वीर सिंह घिंगान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि ए-3 ब्लॉक, नन्द नगरी में डिस्पैंसरी के पास दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कुछ खली जमीन पड़ी है,
- (ख) यदि हाँ, तो v-3, नन्द नगरी में यह जमीन कुल कितनी है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि सम्बन्धित विभाग की उक्त भूमि पर कोई योजना है,
- (घ) यदि हॉ, तो उक्त जमीन पर सरकार की क्या योजना है,
- (ड.) क्या यह भी सत्य नहीं है कि उक्त जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे है; और
- (च.) यदि हॉ, तो सरकार इस जमीन की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास कर रही है?

#### शहरी विकास मंत्री

(क) जी हां।

- (ख) यह जमीन कुल 2937 वर्ग मीटर है।
- (ग) यह भूमि आवासीय भूखण्ड विकास योजना ई.एस.आइ. व ए-3 ब्लाक नन्द नगरी भूमि का हिस्सा है विस्तृत विवरण हेतु सूची संलग्न है। वर्तमान में उक्त स्थल पर कुछ धार्मिक स्थल व पेड़ होन के कारण केवल 396 वर्ग भूमि ही अभी तक विकसित की गई है।
- (घ) विस्तृत विवरण हेतु सूची संलग्न है।
- (ड.) जी नहीं।
- (च.) उपरोक्त।

# सक्षिप्त नोट : विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 28, श्री वीर सिंह धिंगान

दवाखाना के पास खाली पड़ी जमीन, जिसका जिक्र इस प्रश्न में किया गया है, अवासीय भू-खण्ड विकास योजना का भाग है जो कि ESI दवाखाना एवं व्लाक ए-3, नन्द नगरी के मध्य स्थित है, इसे स्थायी समिति, दिल्ली नगर निगम की बैठक दिनांक 23.06.2000 को Resolution No. 104 Item No . 43 के तहत जमीन के प्रयोग में बदलाव के साथ पारित की गई। इससे पहले परित की गई Layout Plan, नन्द नगरी पुर्नवास योजना के अनुसार यह जमीन Group Housing का भाग है। स्थायी समिति के द्वारा पारित Plan के अनुसार लगभग 31 भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल  $4.00 \times 10.00 \,\mathrm{m}$  एवम् 1 भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल  $4.00 \times (10.00.85)$  है का विकास किया जा रहा है परन्तु कुछ धार्मिक स्थल और पेड होने के कारण इनका विकास अभी नहीं हो पाया है। इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बाकी बचे भू भाग पहले से विकसित किए जा चुके है और इस्तेमाल में है।

- 29. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीमापुरी क्षेत्र के गांव ताहिरपुर व सुन्दर नगरी में कब्रिस्तान के लिए कोई जमीन एलाट की थी;
- (ख) यदि हाँ, तो यह जमीन कब व कुल कितनी-कितनी एलाट की गई थी;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि यह जमीन एलाट करने के के बाद कुछ और भी कागजी कार्यवाही बाकी रह गई थी; और
- (घ) यदि हाँ, तो यह कागजी कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी, ताकि इन स्थानों पर विकास कार्य कराया जा सके?

- (क) जी हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सुन्दर नगरी में कब्रिस्तान के लिए जमीन आंबटित कर दी गई थी।
- (ख) दिल्ली नगर निगम को 2.8 एकड; भूमि एतद पत्र संख्या 3494 दिनांक 05.11.2012 को आवंटित की गई थी।
- (ग) कब्जा पत्र एतद् पत्र सं. 291 दिनांक 31.01.2006 को दिल्ली नगर निगम को सूचित कर दिया गया था।
- (घ) सम्बन्धित कार्यवाही जारी है।

- 30. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के निवासियों के लिए कुछ रिहायसी आवास बनाए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक दिल्ली में कुल कितने आवास, किस-किस श्रेणी के कहाँ-कहाँ बनाए है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए भविष्य में कुछ और रिहायसी आवास बनाने का इरादा है;
- (घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राधिकरण के कर्मचारियों को रिहायशी प्लाट या मकान एलाट करते वक्त कोई कोटा निर्धारित करायेगी, और
- (ड.) यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं?

- (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं बनी है जिसमें केवल दिल्ली के निवासियों को रिहायशी आवास दिये जाए।
- (ख) उपरोक्त के समबन्ध में कोई टिप्पणी नहीं।
- (ग) दिल्ली वासियों के लिए भविष्य में कोई योजना नहीं है।
- (घ) उपरोक्त के अनुसार प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- (ड.) क्योंकि कोई भी योजना वर्तमान या भविष्य में विचाराधीन नहीं है। अत: कोई टिप्पणी नहीं है।

- 31. श्री सतप्रकाश राणा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या द्वारका क्षेत्र के कुछ जोहड़ो या स्थान को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा छठ पर्व हेतु घाट के रुप में विकसित किया गया है, यदि हॉ, तो ऐसे कौन-कौन से जोहड़ या स्थान है;
- (ख) इन घाटों के विकास के लिए कुल कितनी-कितनी राशि दी गई है व क्या-क्या विकास कार्य करवाए गए हैं; और
- (ग) क्या बिजवासन विधान सभा क्षेत्र के सै. 9 में स्थित जोहड़ जो कि मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान केन्द्र के साथ में है, को भी क्षेत्र की आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए छठ पूजा के लिए विकसित किया जा सकता है, यदि हॉ, तो कब तक?

- (क) द्वारका में डी.डी.ए. द्वारा छठ पर्व के हेतु घाट के रुप में किसी जोहड को विकसित नहीं किया गया है।
- (ख) यथा
- (ग) ऐसी कोई योजना नहीं है।
- 32. श्री सतप्रकाश राणा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी व कौन-कौन सी अनिधकृत कॉलोनिया ऐसी हैं जिन पर वन विभाग द्वारा आपित लगाई गई है;

- (ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र की ये सभी कॉलोनियां वर्ष 1990 से भी पहले की बनी हुई है, और इसके बावजूद इस क्षेत्र की कॉलोनियों पर वन विभाग द्वारा आपत्ति क्यों की गई;
- (ग) क्या इन कॉलानियों की जांच कर वन विभाग की इस आपित्त को समाप्त नहीं किया जा सकता; और
- (घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार इन आपितयों को हटाया जा सकता है तथा किस-किस विभाग द्वारा किस-किस प्रकार की जांच की आवश्यकता है?

- (क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल 41 अनिधकृत कालोनी हैं तथा 14 कॉलोनी पर वन विभाग की आपत्ति हैं सूची संलग्न है।
- (ख), (ग) एवं (घ) विनियम की अधिसूचना दिनांक 24.03.2008 के मुताबिक नियम 3.3 (क) के अन्तर्गत नियमित नहीं की जा सकती।
  - दिनांक 24.03.2008 को अधिसूचित विनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रावध ानों के अन्तर्गत विभिन्न आपत्तियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी:
  - ''3.3 निम्नलिखित प्रकार की कॉलोनियों अथवा उनके भाग पर नियमन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।''
  - (क) ऐसी अनिधकृत/कॉलोनियाँ/ कॉलोनियों के भाग/बस्तियां, अधिसूचित या आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत आती हैं।

# **BRIEF STATUS OF UNAUTHORIZED COLONIES**

# AC No. Bijwasan (36)

# Name of MLA Sh. Sat Prakash Rana

S.No	. Subject	Number of Unauthorized Colonies
1.	Total Number of Unauthorized Colonies	41
2.	Number of unauthorized colonies sent to MC for security of Layout Plans in list of 733. (Regd. No.)	10
3.	Number of Unauthorized colonies set to MCD for scrutiny of Layout plans in the tentative list of 285 (Regd. No.)	2
4.	Number of unauthorized colonies objected by Forest Deptt. (Regd. No.)	14
5.	Number of unauthorized colonies objected by ASI Deptt.	
6.	Number of unauthorized colonies objected by DDA	
7.	Number of Multiple RWAs in unauthorized colonies (Regd. No.)	2
8.	Number of unauthorized colonies, Built-UP blow 10%	1
9.	Number of unauthorized colonies, Built-UP below 50% as on 2002 (Regd. No.)	5
10.	Number of unauthorized colonies, Buit-UP above 10% in 2002 & below 50% as on 2008-09 (Regd. No.)	5
11.	Number of Colonies whose Scrutinize Layout Plan received from MCd (REGD. No. 500, 901, 1278, 1515)	4
12.	Number of Colonies whose Scrutinize Layout Plan sent to MCD after fixing tentative boundaries. (Regd. No.)	0
13.	Development Work	0

- 33. श्री सतप्रकाश राणा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की सीमा में द्वारका -मानेसर रोड़ का निर्माण करने की कोई योजना बनाई गई है;
- (ख) यदि हाँ, तो यह योजना क्या है, इस वक्त रोड़ की दिल्ली सीमा में कुल लंबाई क्या है, इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है या अभी किया जाना है;
- (ग) क्या हरियाणा की सीमा में इस रोड़ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है;
- (घ) यदि हाँ, तो दिल्ली में इस रोड़ पर अभी तक कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा, इसके क्या कारण है; और
- (ड.) एन.एच. 8 से एन.एच. 1 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोड़ के निर्माण कार्य लांबित क्यों है, और इस पर भी कब तक कार्य प्रारंभ करने की योजना है?

- (क) जी हॉ, जोनल डेवलेपमेंट प्लान जोन के-2 के अनुसार 80 मी. चौड़ी सड़क प्रस्तावित सैक्टर 27 और 28 के बीच में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दक्षिण सीमा तक जाती है।
- (ख) इस रोड़ की दिल्ली सीमा में लगभग 1कि.मी. (एक) की लम्बाई है। इस रोड़ की एलायनमेंट निश्चित करने के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया है।

- (ग) यथा
- (घ) यथा
- (ड.) यथा
- 34. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
  - (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल, 2012 में हुए हैं,
  - (ख) यदि हाँ, तो दिल्ली की तीनों नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड में कौन-कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं; और
  - (ग) उन प्रत्येक प्रत्याशियों को अपने-अपने वार्ड में कितने-कितने मत प्राप्त हुए है, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

- (क) जी हां. यह सत्य है।
- (ख) सूची संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ग) ब्यौरा संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- 35. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि यमुना विहार, भजनपुरा, गामड़ी रोड़, फतेहसिंह मार्ग व X ब्लाक ब्रहम्पुरी मेन रोड़ पर अवैध रुप से विभिन्न प्रकार की रेहड़ियां खड़ी होती है तथा जगह-जगह सड़कों पर भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें चल रही हैं:
- (ख) इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के संबंधित अधिकारी उक्त अतिक्रमणों को क्यों नही हटा रहे हैं;
- (ग) संबंधित निगम के अधिकारी कब तक पूरी तरह उक्त अतिक्रमण को हटा देंगे वे जनता को राहत पहुंचायेंगे; और
- (घ) अतिक्रमण हटाने के बाद क्या कोई विडियो फिल्म अतिक्रमण मुक्त की नहीं बनाई जाती चाहिए?

- (क) यह सत्य है कि यमुना विहार, भजनपुरा, गामड़ी रोड़, फतेह सिंह मार्ग व एक्स ब्लॉक ब्रहमपुरी मेन रोड़ पर विभिन्न प्रकार की रेहिडियॉ अस्थायी व अनिध कृत तौर पर स्ट्रीट वेण्डरों द्वारा लगाई जाती है। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र द्वारा पिछले वर्ष में यमुना विहार में दिनांक 12.09.2011, 11.11.2011, 05/12/2011 व 19.03.2.12 तथा ब्रहमपुरी रोड़ में 17.10.2011, 23.01.2012 व 06.02.12 को ब्रहमपुरी में बिल्डिंग मैटेरियल को पुलिस बल की मदद से हटाया गया। इसके पश्चात् पुन: अतिक्रमण न हो। इस सम्बन्ध में पहले ही पुलिस को पत्र लिख कर भेजे जा चुके हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।
- (ख) उपरोक्तानुसार।

- (ग) रेहड़ी पटरी वालों द्वारा यहां बार-बार अस्थायी रुप से अतिक्रमण किया जाता है तथा निगम द्वारा इसे बार-बार हटाया जाता रहा है। अतिक्रमण हटाने के पश्चात् बार-बार उपायुक्त पुलिस को पुन: अतिक्रमण रोकने को लिखा गया है। पुलिस के सहयोग के बिना यह पूर्णत: अतिक्रमण रोकना कठिन है। फिर भी निगम द्वारा यहाँ कार्यवाही लगातार जारी है।
- (घ) अतिक्रमण हटाने के बाद वीडियो फिल्म बनाने का विभाग में अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

Dated: 15/11/11

# MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER SHAHDARA (NORTH) ZONE

No. AC/Shah (N)/2011/2135

To,

The D.C.P., North East Delhi Police Welcome Delhi-53

# Sub.: Information regarding encroachment removal programme at Yamuna Vihar Noor-Elahi to Ghonda Chowk

Sir,

This is to inform you that General Branch, Shahdara (North) Zone had conducted a joint encroachment removal programme with the help of local police successfully at **Yamuna Vihar, Noor-elahi to Ghonda Chowk** on 11.11.2011 and vacated all the encroachment at Road & Foot Path. As you are aware, as per the directions of Hon'ble Supreme Court, The S.H.O. of the concerned area has responsibility to ensure that no encroachment takes place on public land.

You are therefore requested to direct the concerned officials to ensure that no encroachment reoccurs on he stretch mentioned, above, We look forward to your cooperation on these issue in future also.

Thanking you,

Yours faithfully

Sd/-

Assistant Commissioner Shahdara North Zone

#### Copy to:

- 1. DC/Shah (N) Zone for kind information please.
- 2. ACP Police Station, Bhajanpura
- 3. SHO Police Station, Bhajanpura

Dated: 21/07/2011

# MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER SHAHDARA (NORTH) ZONE

No. AC/Shah (N)/2011/2595

To,

The D.C.P., North East Delhi Police Welcome Delhi-53

# Sub.: Information regarding encroachment removal programme at Maujpur to Brahampuri main Road & Surrounding Area Sir.

This is to inform you that General Branch, Shahdara (North) Zone had conducted a encroachment removal programme with the help of local police and outer force successfully **Maujpur to Brahampuri Main Road** & Surrounding Area on 18.07.2011 and vacated all the encroachment at Road & Foot Path. As you are aware, as per the directions of Hon'ble supreme court, The S.H.O of the concerned area has responsibility to ensure that no encroachment takes place on public land.

You are therefore requested to direct the concerned officials to ensure that no encroachment reoccurs on the stretch mentioned above, We look forward to your cooperation on these issue in future also.

Thanking you,

Yours faithfully

Sd/-Assistant Commissioner Shahdara North Zone

#### Copy to:

- 1. DC/Shah (N) Zone for kind information please.
- 2. ACP Police Station, Jafrabad
- 3. SHO Police Station, Jafrabad

Dated: 18/10/2011

# MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER SHAHDARA (NORTH) ZONE

No. AC/Shah (N)/2011/2878

To,

The D.C.P., North East Delhi Police Welcome Delhi-53

# Sub.: Information regarding encroachment removal programme at Gamri Road, Usmanpur & Surrounding Area

Sir,

This is to inform you that General Branch, Shahdara (North) Zone had conducted a joint encroachment removal programme with the help of local police successfully at **Gamri road**, **Usmanpur & Surrounding Area** on 17-10-2011 and vacated all the encroachment at Road & Foot Path] As you are aware, as per the directions of Hon'ble Supreme Court, The S.H.O. of the concerned area has responsibility to ensure that no encroachment takes place on public land.

You are therefore requested to direct the concerned officials to ensure that no encroachment reoccurs on the stretch mentioned above. We look forward to your cooperation on these issue in future also.

### Thanking you

Yours faithfully

Sd/-Assistant Commissioner Shahdara North Zone

### Copy to:

- 1. DC/Shah (N) Zone for kind information please.
- 2. ACP Police Station] Usmanpur.
- 3. Police Station, Usmanpur